पी एण्ड एस बैंक

राजभाषा

अंकुर

अप्रैल - जून, 2012

पी.एस.बी.

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

Punjab & Sind Bank

(राजभाषा विभाग)

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका पी एण्ड एस बैंक

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

'बैंक हाऊस', प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस,
नई दिल्ली-110 008

अप्रैल-जून
2012

विषय-सूची

आप की कलम से	2
संपादकीय	3
राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति	4
आप और आपका ए.टी.एम.	8
जन्म-दिन	10
अंक सात की महिमा	11
बैंकों में अनुपालन संबंधी कार्य	12
दयालुता	13
बैंकों में सतर्कता प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाना-कुछ सुझाव	14
कविताएँ - हमारा बैंक/शपथ	15
वित्तीय-समावेशन और वित्तीय साक्षरता	16
नई शाखाएँ	18
कस्टमर मीट	21
वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियाँ	22
विविध गतिविधियाँ	24
वित्तीय समावेशन एवं ऋण जागरूकता शिविर	25
हिंदी कार्यशालाएँ	26
राजभाषा समाचार	28
विविध	29
आशा ही जीवन है	30
मैं और मेरे सपने	31
काव्य-मंजूषा	32
एक और ओलंपिक हो रहा है	34
हिंदी वर्णमाला का मानक स्वरूप	36
पश्चिमी संस्कृति में रंगता भारत	38
हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2012-2013 का वार्षिक कार्यक्रम	40
सेवा-निवृत्तियां	42
भविष्य का शीशा/हमें इन पर गर्व है	43
हमारे चित्रकार	44

मुख्य संरक्षक

श्री डी. पी. सिंह, *आई.ए.एस.*
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

श्री पी. के. आनन्द
कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक

श्री डी. डी. नाग
महा प्रबंधक

संपादक

श्री दीन दयाल शर्मा
उप महा प्रबंधक

प्रकाशक

डॉ. चरनजीत सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक एवं प्रभारी,
राजभाषा विभाग

संपादक मंडल

श्री कमल रूप सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक

श्री कुलदीप सिंह खुराना
प्रबंधक

श्री हिमांशु राय
राजभाषा अधिकारी

पंजीकरण सं. : फा 2(25) प्रैस. 91

राजभाषा अंकुर में प्रकाशित सामग्री में दिये गए विचार संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

मुद्रक : मोहन प्रिंटिंग प्रेस
5/35ए, कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110015 फ़ोन : 98100 87743

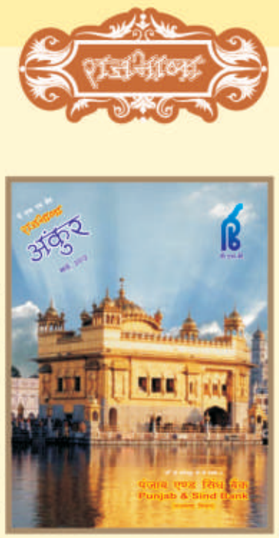

आपकी कलम से

राजभाषा अंकुर का मार्च 2012 अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। संपादक महोदय जी को सेवा-निवृति के बाद सुनहरे भविष्य के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। लेख 'वित्तीय समावेशन और भारतीय भाषाएं' एक उपयोगी और नए प्रकार का लेख है। जो पठनीय और रोचक है। ''बाल मज़दूरी देश के लिए एक अभिशाप'' सामाजिक जागरूकता को इंगित करता एक उपयोगी लेख है। ''वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं'' और ''सूचना का अधिकार'' जैसे लेख उपयोगी एवं नव जानकारी युक्त हैं। पत्रिका में प्रकाशित अन्य विविध विषयों के लेख और काव्य-मंजूषा पठनीय हैं। आगामी अंकों के लिए हमारी ओर से संपादक महोदय जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

- डॉ. अमर सिंह सचान
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर-5ए, चतुर्थ तल, इंडिया हैबीटेट सैंटर
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

मार्च के महीने का ''राजभाषा अंकुर'' भेजने का बहुत धन्यवाद। मैगज़ीन का नाम बहुत बढ़िया लगा। देश की आज़ादी केवल तभी मुक्कमल होती है, जब लोगों की अपनी भाषा को राज-तिलक मिले। दुःख की बात है कि आज़ादी के साठ से भी ज़्यादा साल होने के बावजूद हमारे देश में हमारी भाषा को वह स्थान नहीं नसीब हुआ जो दुनिया के और देशों को हासिल है। इसके और कई कारणों के साथ एक कारण यह भी है कि जिन लोगों के जिम्मे इसको तरक्की देना सौंपा गया था उन्होंने इसकी शक्ल इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दी कि आम लोग इसमें से हिंदी ढूँढते रह जाते हैं। गाँधी जी ने इस बुराई के ख़िलाफ़ बहुत ज़ोरदार शब्दों में ताड़ना की थी। आम बोलचाल की हिंदी में गहरा घर बना चुके अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी या और कई भाषाओं से आए शब्दों को निकालना हिंदी के प्रति सबसे बड़ा गुनाह है, पाप है। बतौर हिंदी के नाम पर विदेशी सी लगने वाली भाषा पढ़ने से मन दुःखी होता है। शुक्र है कि आपने शब्द एंड बैंक और मार्च का हिंदीकरण नहीं किया।
फिर भी समझता हूँ कि आपकी कोशिश नेक इरादे से है। कामना करूंगा कि ''राजभाषा अंकुर'' की भाषा जितना हो सके असली हिंदी, हिंदवासियों की हिंदी के नज़दीक रहे।

- अभय सिंह
5044/1 मार्डन कांपलैक्स, मनी माजरा
चंडीगढ

मार्च 2012 का अंक मिला, धन्यवाद। प्रकाशित सामग्री ज्ञानवर्धक और रोचक है। नई शाखाएं, ए.टी.एम. व गतिविधियों की जानकारी तथा सेवा-निवृत अधिकारियों के बारे में सूचना से पत्रिका और उपयोगी बनी है। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पत्रिका को आगे से त्रैमासिक किया जा रहा है। मेरी शुभ इच्छाएं स्वीकार करें।

चरणजीत सिंह भाटिया
सेवा निवृत वरिष्ठ प्रबंधक
प्र.का. आर.बी.आई. निरीक्षण कक्ष

राजभाषा अंकुर का मार्च 2012 का अंक मिला, धन्यवाद। पत्रिका अत्यंत सुंदर, आकर्षक एवं उपयोगी सामग्री से भरपूर है। ''हिंदी को महिलाओं की देन'' लेख जानकारी से परिपूर्ण है। कविता ''चाहत'' अच्छी है। बैंक की विभिन्न गतिविधियों की सचित्र जानकारी सराहनीय है।

जसवंत सिंह
सहायक निदेशक (कार्यान्वयन)
गृह-मंत्रालय, राजभाषा विभाग
क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर क्षेत्र)
गाजियाबाद

संपादकीय

प्रिय सहभागियो,

आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में जहाँ मानवीय मूल्यों में तेज़ी से बदलाव आया है, वहीं सृजनात्मकता, नवीनता व रचनात्मकता के समीकरणों में भी तीव्रगामी परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं। बैंकिंग व्यवसाय भी इससे अछूता नहीं है। आज बैंकिंग व्यवसाय गुणवत्ता के आधार पर सफ़लता की कसौटी पर परखा जा रहा है। आज वही बैंक अधिक से अधिक लाभ कमा रहे हैं, जो आम व्यक्ति के जीवन की आर्थिकता से उनकी भाषा के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तम ग्राहक-सेवा का मूल आधार भाषा ही तो है। यदि बैंक अपनी योजनाओं को ग्राहकों द्वारा बोली जाने वाले भाषा में सम्प्रेषित कर पाएगा तभी वह सफलता के सोपान चढ़ सकेगा।

इसी प्रसंग में मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां स्मरण हो आई हैं :

निज भाषा उन्नति अहै, सब भाषा को मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को शूल।।

निःसंदेह लगभग सभी बैंकों का उद्देश्य गृह-पत्रिका के माध्यम से अपने स्टाफ़ सदस्यों में राजभाषा हिंदी के प्रति रूचि बढ़ाना व उनके भीतर की रचनात्मकता को आधार प्रदान करना है। हमारे बैंक ने भी इस उद्देश्य की पूर्ति व स्टाफ़ सदस्यों के आग्रह को देखते हुए'पीएसबी राजभाषा अंकुर' का प्रकाशन छमाही से तिमाही आधार पर कर दिया है। मैं आप सभी को इस पत्रिका में अधिकाधिक सहभागिता करने के लिए आमंत्रण देता हूँ तथा आह्वान करता हूँ कि आप अपने भीतर की रचनात्मकता को अभिव्यक्त करें। यह पत्रिका आप के स्टाफ़-सदस्यों द्वारा आप ही के लिए प्रकाशित की जा रही है। इसमें आपकी सहभागिता उत्तरोत्तर बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

मैं अपने प्रथम संपादकीय में 'अंकुर' पत्रिका के इस अंक को आपको सौंपते हुए काफी उत्साहित हूँ तथा सभी पाठकों से अनुरोध करता हूँ कि पत्रिका से संबंधित अपने सुझाव व प्रतिक्रियाएं अवश्य प्रेषित करें ताकि पत्रिका में तदोपरांत गुणवत्ता बढ़ायी जा सके।

आपकी प्रतिक्रियाओं व सहभागिता की आकांक्षा के साथ.....

आपका,

(डी. डी. नाग)
महाप्रबंधक व मुख्य संपादक

राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

- शैलेश कुमार सिंह

किसी भी राष्ट्र एवं देश की पहचान एवं अस्मिता का आधार स्तंभ उसका अपना संविधान होता है जोकि उस देश की परंपरा, संस्कृति, विधि एवं राजकाज का दर्शन होता है। संविधान के प्रतीकों में मुख्यतः तीन तत्वों का विशिष्ट महत्व है : भाषा, संस्कृति और राष्ट्रध्वज। ये सभी तत्व किसी भी स्वतंत्र देश की अस्मिता के परिचायक होते हैं। इनमें से भाषा का महत्व सर्वाधिक है क्योंकि भाषा ही राष्ट्रीय चेतना की संवाहिका होती है। यह राष्ट्र की प्रगतिशील चेतना की प्रतीक है। भाषा के द्वारा ही देश में भावनात्मक एकता की निरन्तरता बनी रहती है। इसीलिए डॉ. राम मनोहर लोहिया ने भाषा रहित राष्ट्र को जीभ कटे मनुष्य की संज्ञा दी है। स्पष्ट है कि हर राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। यही भाषा देश के प्रशासन एवं राजकाज में व्यवहृत होकर राजभाषा की संज्ञा से अभिहित की जाती है।

भारत एक बहुभाषी देश है। अंग्रेज़ी शासन-काल में भी देश के विविध भागों में शासन कार्य में स्थानीय रूप से देश की विभिन्न भाषाओं के इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन अधिकांश शासन-कार्य मुख्य रुप से अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से ही होता था जिससे अंग्रेज़ी ने देश के विविध भागों के बीच सम्पर्क भाषा का स्थान ले लिया। लेकिन किसी भी देश की शासकीय संचालन एवं राजकीय कामकाज की भाषा नितांत विदेशी भाषा नहीं हो सकती। बिना देशी भाषा के सहयोग से कोई विदेशी भाषा किसी भी देश में प्रभावी एवं सक्षम नहीं हो सकती। इसलिए अंग्रेज़ों को भी भारत में अपना राजकाज सफलतापूर्वक चलाने के लिए हिंदी का सहारा लेना पड़ा जिसके माध्यम से वे देश के जन-जन तक पहुँचने में कामयाब हुए और इसी के माध्यम से वे अंग्रेज़ी को सम्पर्क भाषा के रूप में प्रचारित कर सके। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के पीछे इस प्रकार अनेक वर्गों का योगदान रहा है।

सर्वप्रथम इसका श्रेय उन सन्तों एंव भक्तों को दिया जाता है जिन्होंने अपने उपदेशों के द्वारा जन-जन में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया। दूसरा बहुत बड़ा श्रेय उन मुस्लिम शासकों एवं शायरों को जाता है जिन्होंने इस भाषा को लोकप्रिय बनाया, उसे संरक्षण प्रदान किया तथा सुदूर दक्षिण तक प्रचार एवं प्रसार किया। तीसरा श्रेय स्वयं अंग्रेज़ शासकों को जाता है, जिन्होंने अपने अधिकारियों को शासन चलाने के लिए हिंदी एवं उर्दू सिखाने की व्यवस्था की। इसके लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। परंतु बहुत बड़ा तथा महत्वपूर्ण श्रेय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं एवं सांस्कृतिक जागरण के सूत्रधारों को दिया जाना चाहिए। गुजरात के स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज के सामाजिक सुधार वाले आंदोलन में जिस भाषा का प्रयोग किया, वह हिंदी ही थी। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार बल्लभभाई पटेल, सुभाष चन्द्र बोस तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के कर्णधारों ने हिंदी या हिन्दुस्तानी को ही देश की संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया तथा अपनी सभाओं एवं कार्यों में इसका इस्तेमाल कर जनता के बीच इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया। इन सब बातों ने मिलकर हिंदी को राजभाषा बनाने की आधारशिला रखी।

1947 में स्वतंत्रता के उपरांत स्वतंत्र भारत के संविधान में जब राजभाषा का प्रश्न सामने आया, तब इस संबंध में काफी मतभेद थे। संविधान निर्माताओं ने बड़ी दूरदेशी एंव सोच-विचार कर इस संबंध में मुंशी-आयंगर फार्मूला को स्वीकार किया। जिसके तहत

14 सितंबर, 1949 को हिंदी संविधान में राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई जोकि संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाग 17 के रूप में संविधान का अभिन्न अंग बना। राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाए जाने के विषय में संविधान सभा के सभी सदस्य कमोवेश रूप में सहमत थे, लेकिन इसके नामकरण को लेकर पर्याप्त मतभेद था। कुछ सदस्य इसे हिंदी तो कुछ अन्य इसे हिन्दुस्तानी नाम देना चाहते थे। इसी प्रकार कुछ नेता जैसे बाबू पी. डी. टण्डन तथा सेठ गोविन्द दास ने नागरी अंकों का समर्थन किया तो पंडित नेहरु जैसे नेता रोमन अंकों के पक्ष में थे। लेकिन विस्तृत वाद-विवाद के उपरान्त संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया तथा अंकों के संबंध में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रुप को स्वीकार किया।

इस प्रकार भारतीय संविधान में हिंदी की स्थिति राष्ट्रीय भाषा के रुप में निरूपित की गई है क्योंकि इसे अन्य भारतीय प्रादेशिक भाषाओं की तरह ही आठवीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। इसके बावजूद भारतीय संविधान में इसका स्वरूप बहुआयामी है जिसका निरूपण संविधान के भाग 5,6,17 और 22 के विविध प्रावधानों एवं उपबंधों के तहत किया गया है। इसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं :

भाग - 5

इसके अंतर्गत संसद के कार्य संचालन में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 120(1) और (2) में इसकी व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेज़ी में किया जाएगा, लेकिन सदन का अध्यक्ष या ऐसा कोई व्यक्ति हिंदी या अंग्रेज़ी में पर्याप्त अभिव्यक्ति न कर सकने वाले किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

संसद द्वारा उपबंध न किए जाने पर संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के बाद यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानों कि इसमें से "या अंग्रेज़ी में" शब्द लुप्त कर दिए गए हों।

भाग - 6

इसके अंतर्गत राज्य के विधान मण्डल के कार्य संचालन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है जिसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 210(1) और (2) में की गई है। इसके अनुसार राज्य के विधान मण्डल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेज़ी में किया जाएगा, लेकिन उपर्युक्त किसी भी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति कर सकने वाले किसी व्यक्ति को सदन का अध्यक्ष या ऐसा कोई व्यक्ति उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

राज्य के विधानमण्डल द्वारा अन्यथा उपबंध न किए जाने तक संविधान के आरंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर इस अनुच्छेद से 'या अंग्रेज़ी में" शब्द लुप्त समझे जाएंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य विधानमंडलों के संबंध में यह अवधि "पच्चीस वर्ष" मानी जाएगी।

भाग - 17

इस भाग के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य में केवल वहीं तक लागू होंगे जहाँ तक कि वे संघ की राजभाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा किसी राज्य और संघ के बीच संचार की राजभाषा और उच्चतम न्यायालय में कार्यवाहियों की भाषा से संबंधित है। इसके अंतर्गत संघ की राजभाषा का कई अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया हैं जिससे हमें राजभाषा के क्षेत्र, स्वरूप, प्रकृति तथा विकास की सम्यक् जानकारी मिलती है। इसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं :

(क) संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है जिसके तीन खण्ड हैं : (1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और सरकारी प्रयोजनों हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। (2) संविधान के लागू होने से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के शासकीय प्रयोजनों हेतु अंग्रेज़ी का प्रयोग पूर्ववत् जारी रहेगा। लेकिन इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिंदी भाषा और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। (इसी उपबंध के तहत राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं विकास के लिए सन् 1952, 1955 तथा 1960 में राष्ट्रपति जी के विस्तृत आदेश जारी किए गए थे)। (3) उक्त प्रावधान के बावजूद पन्द्रह वर्ष की अवधि के बाद संसद विधि द्वारा अंग्रेज़ी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए

उपबंध कर सकती हैं। (इसी उपबंध के तहत संसद द्वारा अंग्रेज़ी के प्रयोग को कतिपय प्रयोजनों हेतु बनाए रखने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित किया गया)।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा के लिए आयोग तथा संसद की समिति संबंधी प्रावधान है जिसके निम्नलिखित 6 खण्ड हैं : (1) राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष और 10 वर्षों की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा जिसमें एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल होंगे। (2) यह आयोग संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग, अंग्रेज़ी के इस्तेमाल पर रोक, न्यायालयों की भाषा, अंकों के रूप, संघ और राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा तथा इसी प्रकार के अन्य विषयों के संबंध में राष्ट्रपति को सिफ़ारिश करेगा। (3) यह आयोग अपनी सिफ़ारिशों में भारत की सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक उन्नति तथा लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के दावों और हितों पर भी सम्यक ध्यान देगा। (4) लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी जिनमें से 20 लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे। (5) यह समिति उपर्युक्त खण्ड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफ़ारिशों की संवीक्षा करके राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देगी। (6) राष्ट्रपति उक्त रिपोर्ट पर विचार करके यथोचित निर्देश जारी करेंगे।

इस अनुच्छेद का प्रयोजन यह था कि (1) संघ के शासकीय प्रयोजनों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो, (2) संघ और राज्यों के बीच राजभाषा का प्रयोग बढ़े, तथा (3) शासकीय प्रयोजनों हेतु अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग सीमित या समाप्त किया जाए। इस हेतु 7 जून, 1955 को राजभाषा आयोग गठित हुआ, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी। इसकी सिफ़ारिशों पर विचार करने के लिए 1957 में एक ससंदीय समिति बनी। आयोग और समिति दोनों ही 1965 के बाद भी अंग्रेज़ी को जारी रखने के पक्ष में थे। इसीलिए राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की सिफ़ारिशों को कार्य रूप देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 343(3) के तहत राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया ताकि अंग्रेज़ी का प्रयोग बनाए रखा जा सके।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषाओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जिनके अनुसार अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा राज्य की किसी भाषा या भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए अपना सकता है, लेकिन जब तक कि राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा ऐसा उपबंध न करे तब तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा।

(घ) अनुच्छेद 346 के अंतर्गत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि के लिए संघ की प्राधिकृत भाषा ही राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होगी। परंतु यदि दो या अधिक राज्य करार द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उनके बीच संचार के लिए राजभाषा के रूप में हिंदी का व्यवहार होगा।

(ङ) अनुच्छेद 347 के अंतर्गत किसी राज्य के पर्याप्त जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में राष्ट्रपति विशेष उपबंध द्वारा उस भाषा को राजकीय संव्यवहार की भाषा के रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकते हैं।

(च) अनुच्छेद 348 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, अधिनियमों तथा विधेयकों आदि में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं जिसके तीन खण्ड हैं : (1) जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करें तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाईयाँ तथा संसद और विधान मण्डल द्वारा पारित किए जाने वाले विधेयकों, अधिनियमों, संशोधनों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपविधियों आदि के प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी भाषा में होंगे। (2) किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अपने राज्य के शासकीय प्रयोजनों में काम आने वाली भाषा या हिंदी भाषा को उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों के लिए प्राधिकृत कर सकता है। लेकिन यह बात उस उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू

नहीं होंगे। (3) उपर्युक्त उपखंडों में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में अंग्रेज़ी से भिन्न किसी अन्य भाषा का प्रयोग हुआ हो, वहाँ उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से उस राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अंग्रेज़ी भाषा में उसका अनुवाद ही प्राधिकृत पाठ माना जाएगा।

(छ) अनुच्छेद 349 के अंतर्गत भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 344 के खण्ड (1) तथा (4) के अधीन गठित आयोग और समिति की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखकर ही भाषा संबंधी प्रावधान करेंगे जिसे विधि द्वारा प्रख्यापित किया जाएगा। इसका आशय यह है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि तक अंग्रेज़ी के स्थान पर कोई दूसरी भाषा स्वीकार्य नहीं हो सकती थी।

(ज) अनुच्छेद 350 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति व्यथा निवारण हेतु संघ या राज्य के किसी अधिकारी को अपने राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में अभ्यावेदन दे सकता है। 1956 के सातवें संविधान संशोधन की धारा 21 के तहत इसमें निम्नलिखित दो प्रावधान जोड़े गए : (1) 350 क : इसके अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं देने हेतु राष्ट्रपति संबंधित राज्य को यथावश्यक या यथोचित निर्देश देगा। (2) 350 ख : इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है जोकि संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित सभी पहलुओं की जांच-पड़ताल करके इस संबंध में राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा और संबंधित राज्य सरकारों को भिजवाया जाएगा।

(झ) अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश का प्रावधान है जिसके अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार एवं विकास इस ढंग से करें कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके तथा इसके शब्द भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित हो सके।

इस अनुच्छेद के तहत हिंदी के ऐसे स्वरूप के विकास की अपेक्षा की गई है जो समूचे देश में प्रयुक्त हो सके और भारत की मिली-जुली संस्कृति की वाहिका हो सके अर्थात् उसका स्वरूप ऐसा हो कि यह सभी प्रान्त के निवासियों को स्वीकार्य हो। इससे अन्य भाषाओं के साथ इसका आदान-प्रदान संभव होगा। इस प्रकार ऐसी हिंदी के दो स्वरूप हैं : (क) संघीय स्वरूप जिसका उल्लेख अनुच्छेद 343(1) में किया गया है, और (ख) प्रादेशिक स्वरूप जिसका उल्लेख अनुच्छेद 345 एवं 351 में किया गया है।

भाग - 22

इसके अंतर्गत संविधान के अठावनवां संशोधन अधिनियम, 1987 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 394 क में हिंदी के प्राधिकृत पाठ का प्रावधान किया गया जिसके तीन खण्ड हैं : (1) राष्ट्रपति इस संविधान के हिंदी भाषा में किए गए अनुवाद तथा अंग्रेज़ी भाषा में किए गए संविधान संशोधन के हिंदी भाषा में अनुवाद को अपने प्राधिकार से प्रकाशित कराएगा। (2) उक्त अनुवाद का वही अर्थ समझा जाएगा जो इसके मूल का है और यदि ऐसे अनुवाद के किसी भाग का इस प्रकार अर्थ लगाने में कोई कठिनाई होती है, तो राष्ट्रपति उसका उपयुक्त पुनरीक्षण कराएगा। (2) इस संविधान का और इसके प्रत्येक संशोधन का इस अनुच्छेद के अधीन प्रकाशित अनुवाद सभी प्रयोजनों के लिए उसका हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

इस प्रकार राजभाषा हिंदी के स्वरूप एवं विकास की प्रक्रिया में संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी 22 प्रादेशिक भाषाओं के योगदान की अपेक्षा की गई है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 344 तथा 351 के प्रावधानों में हिंदी की जिस सार्वभौमिक एवं निरपेक्ष समृद्धि की अभिकल्पना की गई है, उससे यह स्पष्ट होता है कि राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति एवं स्वरूप संरचना संविधान में निहित मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप संघीय, लोकतांत्रिक, संतुलित, समावेशीय एवं भाषा निरपेक्ष है।

उप निदेशक (कार्यान्वयन)
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-।
नई दिल्ली

आप और आपका ए.टी.एम.

- संदीप कुमार सिंह

Automated Teller Machine (ए.टी.एम.) एक कम्प्यूटरीकृत दूरसंचार यंत्र है जो वित्तीय-संस्थानों के ग्राहकों को सार्वजनिक स्थानों पर, कैशियर या अन्य बैंक अधिकारी के बिना, वित्तीय लेन-देन की सुविधा प्रदान करता है। विश्व भर में ए.टी.एम. को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे कि कनाडा में यह यंत्र Automated Banking Machine और ब्रिटेन में Cash Machine/Cashpoint के नामों से प्रचलित है।

ए.टी.एम. यंत्र की सहायता से ग्राहक अपने बैंक खातों को Access कर कई प्रकार के वित्तीय लेन-देन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर नक़द निकासी, संक्षिप्त विवरण, धन अंतरण, टैक्स भुगतान, और बिलों का भुगतान इत्यादि।

ए.टी.एम. इतिहास

जापान, स्वीडन, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्र और एक साथ प्रयासों से खुदरा बैंकिंग में स्वयं सेवा का विचार विकसित हुआ।

USA में Luthar George Simjian को पहली Cash Dispenser (CD) यंत्र के निर्माण के लिए जाना जाता है। City Bank of New York ने Simjian की एक प्रयोगात्मक CD यंत्र को सन् 1961 में New York City में स्थापित किया। इस यंत्र, जिसे Bankograph के नाम से जाना गया में केवल सिक्के, नक़द और चैक स्वीकार करने की सुविधा थी। इस प्रयोगात्मक यंत्र में नक़द निकासी की सुविधा नहीं थी।

Barclays Bank ने 27 जून 1967 में लंदन के Enfield Town में प्रथम ए.टी.एम. यंत्र की स्थापना की। इस ऐतिहासिक अविष्कार का श्रेय John Shepherd Banron को जाता है।

पहला आधुनिक ए.टी.एम. यंत्र (IBM 2984) दिसंबर 1972 में प्रयोग में आया। इसे Lloyds Bank के अनुरोध पर बनाया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय उपयोग

विश्व भर में ए.टी.एम. यंत्रों की संख्या का कोई सरकारी ठोस अनुमान नहीं हैं, हालांकि ए.टी.एम.आई.ए. के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 2.2 मिलीयन से कुछ अधिक ए.टी.एम. स्थापित हैं। लगभग 1 ए.टी.एम. प्रति 3000 व्यक्ति।

अंतर्राष्ट्रीय ए.टी.एम. चित्रिय आरेख (Pictogram)

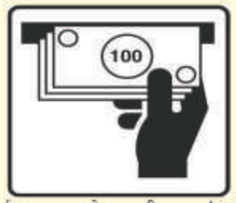

चित्र 2 में दर्शाया गया आरेख ए.टी.एम. यंत्र के लिए ए.टी.एम. आई.ए. द्वार प्रकाशित किया गया प्रसिद्ध सरकारी आरेख है। यह आरेख (Pictogram) एक ए.टी.एम. यंत्र की उपस्थिति को दर्शाता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह आरेख भाषा संस्कृति, लिंग या उम्र की परवाह किये विना आम लोगों की समझ में आसानी से आ जाता है।

ए.टी.एम. भारत में

ए.टी.एम. ने भारत में बैंकिंग लेन-देन के लिए एक वैकल्पिक डिलीवरी चैनल के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। इसलिए सभी बैंकों ने ए.टी.एम. स्थापित कर अपनी पहुँच को बढ़ाया है। अधिक से अधिक लोग अब अपनी बैंकिंग ज़रूरतों के लिए स्वचालित टेलर मशीन (ए.टी.एम.) का उपयोग करते हैं। इसके लिए ए.टी.एम. के इंटरबैंक नेटवर्क ने बहुत सार्थक योगदान किया है। इंटरबैंक नेटवर्क ने कई बैंकों के ए.टी.एम. को एकजुट किया है। ताकि उपभोक्ता किसी भी बैंक के ए.टी.एम. का उपयोग कर सके।

दिसंबर 1, 2011 को 'द इकनॉमिक टाईम' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार भारत में लगभग 74,743 ए.टी.एम. स्थापित हैं और इनमें से अधिकतम योगदान एस.बी.आई का है जिसने लगभग 20,084 ए.टी.एम. स्थापित किये हैं।

ए.टी.एम. सुविधायें

ए.टी.एम. को अब नकद वितरण मशीनों से अधिक देखा जाता है।

ग्राहक अब ए.टी.एम. को अपने मोबाईल फ़ोन के प्री-पेड कनेक्शन रि-चार्ज करने के लिए और अपने बिलों के भुगतान करने जैसी वैल्यु-एडिड-सर्विस के लिए उपयोग कर रहे हैं।

ATM - Financial Inclusion Through Micro ATMs

आज हर 9 लोगों में से एक भारतीय ग्रामीण हैं और लगभग 70 प्रतिशत भारतीय ग्रामीणों के पास बैंक खाता नहीं है। इस ग्रामीण भारत को वित्तीय प्रणाली में लाने के लिए अनेक बैंकिंग चैनलों की आवश्यकता है।

कम लागत के ए.टी.एम. स्मार्ट कार्ड और मोबाईल भुगतान जैसे विकल्प समाधान के रूप में प्रयोग किये जा सकते हैं।

माइक्रो-ए.टी.एम.

UIDAI द्वारा प्रकाशित एक उच्च स्तरीय दृष्टि दस्तावेज में माइक्रो–ए.टी.एम. का वर्णन किया गया है। इस दस्तावेज का शीर्षक है - "From Exclusion to Inclusion with Micro Payments" माइक्रो-ए.टी.एम. का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण ग़रीबों को बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

माइक्रो-ए.टी.एम. बैंकों में तैनात किये जाते हैं। इनका संचालन बैंकों द्वारा ही तैनात व्यापार संवाददाता द्वारा किया जाता है। माइक्रो-ए.टी.एम. निम्नलिखित प्रकार की बुनियादी लेन-देन प्रदान करते हैं :

1. धन जमा
2. धन वापसी
3. धन-अन्तरण
4. बैलेंस जानकारी
5. मिनी स्टेटमेंट

माइक्रो-ए.टी.एम. ग्राहकों को उनके आधार नंबर और Finger Print के आधार पर उपरोक्त वित्तीय सुविधाएं प्रदान करते हैं उदाहरण के तौर पर माइक्रो-ए.टी.एम. द्वारा धन वापसी की प्रक्रिया निम्न प्रकार है :

1. व्यापार संवाददाता ग्राहक का BIN + AADHAR नंबर और Transaction Amount (लेन-देन राशि) माइक्रो-ए.टी.एम. में दर्ज करता है।
2. माइक्रो-ए.टी.एम. लेन-देन का विवरण प्रदर्शित करता है और ग्राहक द्वारा पुष्टि करने के लिए प्रेरित करता है।
3. ग्राहक अपने अंगुली की छाप माइक्रो-ए.टी.एम. उपकरण में उपलब्ध करता है।
4. माइक्रो-ए.टी.एम. उपकरण अपने स्क्रीन पर लेन-देन प्रक्रिया की सफलता या विफलता को दर्शाता है।
5. अगर लेन-देन की प्रक्रिया सफलता पूर्वक होती है तो धन निकासी हो जाती है।
6. माइक्रो-ए.टी.एम. रसीद मुद्रित करता है जो कि व्यापार संवाददाता द्वारा ग्राहक को प्रदान कर दी जाती है।

ATM - Risk Mitigation Measure By Customers

1. ए.टी.एम. कार्ड और उसके पिन को गोपनीय और सुरिक्षत रखें।
2. अपरिचित एवं अंजान व्यक्ति को अपना कार्ड एवं पिन कोड कदापि न दें।
3. ए.टी.एम. उपयोग करते समय अपरिचितों से मदद न लें।
4. ए.टी.एम. का पिन सामान्य न रखें जिसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सके। जैसे कि 1234 या 4567 या 2468 आदि।
5. ए.टी.एम. इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखें कि आस-पास या पीछे कोई अनजान व्यक्ति न खड़ा हो, जो कि आपका पिन याद कर ले।
6. ए.टी.एम. कार्ड के खो जाने पर बैंक के टोल फ्री नंबर पर या अपनी शाखा में कॉल करें और अपने कार्ड को तुरंत Deactivate करा दें।
7. नियमित अंतराल पर ए.टी.एम. पिन परिवर्तित करें।
8. बैंक की एस.एम.एस. अलर्ट सुविधा स्वस्काइब करें। इससे आपको अपने खाते में होने वाले लेन-देन की सूचना प्राप्त होती रहेगी।
9. ए.टी.एम. द्वारा मुद्रित स्टेटमैंट स्लिप को अच्छी तरह से फाड़ कर फेंकें।
10. अपने कार्ड का पिन कभी भी बैंक के कर्मचारी को उपलब्ध न कराएं।

- प्र.का. आई.टी. विभाग, नई दिल्ली

जन्म-दिन

- देवेन्द्र पाल

शर्मा जी अध्यापक थे। घर में दो बेटे और पत्नी थे। समाज में इज़्ज़त सम्मान की कमी न थी। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी फिर भी, किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता भी कभी नहीं हुई। शर्मा जी ने बच्चों को ख़ूब पढ़ाया-लिखाया, जिसका परिणाम यह है कि आज दोनों बेटे ऊँचे-ऊँचे पदों पर हैं। धन-धान्य की कोई कमी नहीं है। संस्कारों की बात कहें तो आज भी दोनों बेटे अपने-अपने परिवारों के साथ शर्मा जी के पुश्तैनी घर में ही रह रहे हैं हालांकि दोनों ने अलग-अलग बहुत बड़े-बड़े और अच्छे-अच्छे घर भी ख़रीद लिए हैं।

दोनों के बच्चे अभी छोटे ही हैं। घर में बड़े दिनों से कोई शादी-ब्याह या ऐसा ही उत्सव नहीं हुआ है सो छोटे वाले की बहू ने प्रस्ताव रखा था, मम्मी जी, बाऊजी से पूछना राहुल का जन्म-दिन मनाना चाहते हैं हम लोग। छोटे स्तर पर नहीं बड़ी धूम-धाम से। दरअसल बात क्या है मम्मी जी, बड़े दिनों से घर में कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं हुआ... लेकिन यह सब तभी होगा जब बाऊजी आज्ञा देंगे।

भला शर्मा जी को क्या आपत्ति होती। बेटे-बहुओं की खुशियों में ही अपनी खुशी देखने वाले शर्मा जी अब सेवानिवृत्त हो गये थे। उन्होंने अपनी सहमति दे दी थी।

पाँच जनवरी को बेटे राहुल का जन्म-दिन मनाना था। ख़ूब तैयारियाँ की जा रही थी। रिश्तेदारों और मित्र-संबंधियों को कार्ड भेज दिए गये थे। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। हलवाई से लेकर शामियाने तक और बिजली से लेकर सजावट तक पर पैसा फूंका जा रहा था। कि... कि... कि... शर्माजी अर्थात् बाऊजी... अचानक बीमार पड़ गए। सर्दियों के दिन थे। दमा के मरीज़ शर्मा जी की हालत ख़राब हो गई थी। डॉक्टरों को दिखाया गया। डॉक्टरों ने जमीन-आसमान एक कर दिए लेकिन नतीजा 'ढाक के तीन पात' 'वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट बट...। इसके आगे डॉक्टर चुप हो जाते, ज़्यादा पूछने पर......कुछ भी हो सकता है, कभी भी....।

पाँच तारीख़ को राहुल का जन्म-दिन था बाऊजी को घर ले आया गया था। तैयारियाँ पूरे ज़ोरों पर थी। .... तो शर्मा जी की स्थिति कभी भी कुछ हो जाए वाली थी।

शर्माजी की पत्नी हर समय शर्मा जी की तीमारदारी में लगी रहती थीं। वे शर्मा जी के लिए पानी गर्म करने किचिन में गई थीं कि पानी गर्म करते समय कुछ शब्द उनके कानों से टकराए थे। शब्द छोटी बहू के थे, '... .जन्म-दिन सिर पर है.... बाऊजी की हालत.... अब क्या बोलें.... कुछ कहेंगे तो आपका मुँह फूल जाएगा.... बाऊजी को अभी बीमार होना था।

बीमार कोई स्वेच्छा से नहीं होता शांति....., शायद छोटे वाला था।

हाँ स्वेच्छा से नहीं होता.... लेकिन उनके बीमार होने से हमारे तो सारे कार्यक्रम में विघ्न पड़ गया ना... हम तो कहते हैं जो कुछ होना हो.... पाँच तारीख़ से पहले ही हो जाए.... कहीं ऐसा न हो कि पाँच तारीख़ वाले दिन ही बाऊजी..... ।'

शर्मा जी की पत्नी ने इसके आगे के शब्द नहीं सुन पाई... या न सुन सकी थीं। जिन बच्चों के लिए शर्माजी ने अपने जीवन का एक-एक पल....। सोचने लगी थीं कि अचानक सीने में दर्द उठा और.... सीने में ही समा गया था। धड़ाम से गिर पड़ी थीं। पूरा घर इकट्ठा हो गया था। घर में कोहराम मच गया तभी किसी ने बाऊजी को ख़बर दे दी थी। बाऊजी सिर्फ़ इतना ही बोल पाए थे, 'हर काम में जल्दी रहती है इन्हें... जाना मुझे था और चल खुद दीं......अच्छा आता हूँ मैं भी.....। इन शब्दों के साथ ही शर्मा जी के खुले होंठ.... खुले के खुले ही रह गये थे।

पानी गैस पर उबल कर ठंडा हो गया था शायद छोटे वाले की बहू ने गैस बंद कर दी थी।

- सहायक निदेशक
वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली

अंक सात की महिमा

- दिनेश कुमार गुप्ता

1. गणितज्ञ की दृष्टि में 7 एक अंकीय सबसे बड़ी विषम (प्राइम) संख्या है, अर्थात् ऐसी संख्या जो केवल 1 से या फिर स्वयं से ही पूर्णतया विभाजित होती है। पर 7 की महिमा तो अपरम्पार है। इसकी शान में जितने भी कसीदे पढ़े जाएं कम हैं। 7 तो हमेशा सातवें आसमान पर ही रहता है।

2. सूर्यदेव के रथ में हैं अश्व 7। मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम माने गये हैं विष्णु के 7वें अवतार और उनके परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास रचित ''रामचरितमानस'' में भी 7 काण्ड हैं। बाईबल के अनुसार ईश्वर ने ब्रह्मंड की रचना 7 दिनों में ही पूर्ण की थी और ईसाई मान्यता भी 7 महापापों की है। सातवें स्वर्ग में होना प्रसन्नता की पराकाष्ठा है। 7वें सिख गुरु श्री हर राय साहब जी शांति-पुरुष के रूप में विख़्यात हैं। इस्लाम धर्मावलम्बियों के मुबारक नम्बर (786) का पहला अंक 7 ही है।

3. निगाह इधर-उधर दौड़ाएं तो हम पाते हैं सप्ताह में वार 7, आकाश में इन्द्रधनुष में खिलते रंग 7, संगीत में स्वर गूंजते 7 (सा, रे, गा, मा, पा, धा नी) और फ्रेन्ड्स में गिनने पर अक्षर 7। शादी और 7 की घनिष्ठा का तो कहना ही क्या - सात फेरे, सात वचन, सात जन्मों का साथ निभाना और फिर सात साल बाद की अकुलाहट।

4. पृथ्वी पर महाद्वीप कितने - सात, पुराने लें या नये दुनिया के अजूबे कितने - सात, पूर्वोत्तर भारत में राज्य कितने-सात, शीतल पेय तो सेवन अप, रेज़र तो सेवन ओ क्लाक, लक्ज़री होटल तो सेवन स्टार, मजबूत ताला तो सेवन लीवर, सीक्रेट सर्विस एजेन्ट जेम्स बान्ड कहलाते जीरो जीरो सात (007) और निर्दयी विमाता से स्नोव्हाइट को बचाने वाले बौने भी थे सात।

5. भारत के सफलतम क्रिकेट कप्तान रहे माही (महेन्द्र सिंह धोनी) की जर्सी का नंबर भी 7 ही है। आस्ट्रेलियाई क्लार्क टेस्ट क्रिकेट में हालिया तिहरा शतक जड़ने वाले 7वें कप्तान हैं। स्क्रैबिल खेल में टाइल्स रहती है सात और भारत में जन्में कबड्डी के खेल में मैदान पर दोनों टीमों के सात-सात खिलाड़ी ही होते हैं।

6. भारत के प्रधानमंत्री का निवास कहाँ - 7 रेस कोर्स रोड, भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में हाल ही में विधान-सभा चुनाव की वोटिंग हुई सात चरणों में और चाहे हिंदी फ़िल्मों के महानायक बिग बी की पौत्री (बेटी बी) का जन्म हो या उनका स्वयं का आपरेशन होना हो, अस्पताल तो मुम्बई का 'सेवन हिल्स' ही रहा।

7. सात की तूती, बॉलीवुड में भी बोलती रही है - अमिताभ बच्चन अभिनीत ''सात हिन्दुस्तानी'' हो या ''सत्ते पे सत्ता''। प्रियंका चोपड़ा के तो ''सात ख़ून माफ़'' कर दिये गये। फिल्मी गीतकार ही कैसे पीछे रह जाते, सात के प्रताप से - सात सहेलियां खड़ी-खड़ी.......(फ़िल्म विधाता), सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी.....(धर्मवीर), हमने तुमको देखा......हम तुम सनम सातों जन्म.....(खेल-खेल में), सतरंगी रे.......(दिल से) और 'आनन्द' का गीत - मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने बुने, सपने सुरीले सपने।

अब तो आप मानेंगे कि ये ख़ुसूसियत बेसबब नहीं है यारब (मितरां) काफी कुछ है जिसकी हिस्सेदारी है। और क्या ये मात्र संयोग है कि भवदीय की बैंक से सेवा-निवृत्ति वर्ष के सातवें माह (जुलाई) में हुई और तब उसका ग्रेड स्केल भी सात (जीएम) ही था।

मुख्य सतर्कता अधिकारी (अवकाश प्राप्त)

बैंकों में अनुपालन संबंधी कार्य

- जी. एस. सचदेवा

बैंकों में अनुपालन प्रक्रिया को अपनाना घोष कमेटी की अनुशंसाओं में सम्मिलित था, जिसे 1992 में लागू किया गया। यह प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर तय की जाती है। अनुपालन अभिशासन के ढांचे की मूल संकल्पना में अनुपालन व्यवहार को अपनाना तथा अनुपालन जोखिम को आंकना है। बैंकों में अनुपालन कार्य को पर्याप्त रूप से लागू करना होगा तथा जहाँ तक संभव हो, यह प्रक्रिया स्वतंत्र होनी चाहिए। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि बैंकिंग पर्यवेक्षण हेतु बासेल कमेटी ने अनुपालन व्यवहार को अतिआवश्यक बताया था।

अनुपालन प्रक्रिया द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, धनशोधन निवारण अधिनियम आदि के साथ-साथ समय-समय पर जारी अन्य विनियामक निर्देशों का, बासेल कमेटी की अनुशंसाओं, भारतीय बैंक संघ, एफ़ईडीआई और एफ़ईएमए आदि के मानकों एंव कोडों के तथा समस्त सांविधिक प्रावधानों के साथ-साथ बैंकों के बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों व फेयर प्रैक्टिस कोड के सख़्त पालन का प्रेक्षण किया जाना चाहिए। निर्देश दिए गए थे कि सभी बैंक अनुपालन प्रक्रिया को अपनाएंगे तथा इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु अपने अधिकारियों का एक दल बनायेंगे। जिसका प्रधान मुख्य अनुपालन अधिकारी होगा, जो उच्च स्तर पर बैंक के अनुपालन जोखिम का प्रबंधन करेगा।

बैंकों में अनुपालन एवं अनुपालन प्रक्रिया के संबंध में बैंकिंग पर्यवेक्षण हेतु बासेल कमेटी के पेपर में अनुपालन जोखिम को परिभाषित करते हुए लिखा गया : 'बैंक को विधि या कानून, विनियमन, नियम, स्वयं विनियामक संस्थाओं के मानकों व कोडों के अनुपालन जो इसके बैंकिंग संबंधी क्रिया-कलापों से संबंधित हैं, का पालन न करने से होने वाले विधिक अथवा विनियमन संबंधी या प्रतिष्ठा, खोने के संबंध में जोखिम'। इस प्रकार अनुपालन क्षेत्र विधिक व प्रतिष्ठा संबंधी जोख़िम के पहचान, आकलन व समाधान में अति महत्वपूर्ण है।

अनुपालन जोख़िम के प्रबंधन हेतु, इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु तथा बैंक के अनुपालन समिति के जिम्मेदारियों के प्रति बैंक का वरिष्ठ प्रबंधन तथा निदेशक मंडल बाध्य है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुपालन संबंधी मुद्दों का निपटान वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा प्रभावशाली ढंग से तथा शीघ्रता पूर्वक किया जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की प्रक्रिया को बोर्ड के ऑडिट कमेटी के पास समीक्षा हेतु वार्षिक के बजाए तिमाही आधार पर भेजा जाना चाहिए। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि अनुपालन तथा ऑडिट प्रक्रिया के बीच कोई विवाद न हो इसके लिए इन्हें अलग-अलग रखा गया है।

किसी भी बैंक में मजबूत अनुपालन व्यवस्था में सुनियोजित अनुपालन नीति व इसकी भूमिका, इस हेतु अलग विभाग तथा सहयोगी स्टाफ़ सम्मिलित किया जाना चाहिए। विभाग का प्रधान सहायक महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक स्तर का वरिष्ठ कार्यपालक होना चाहिए। नियंत्रक कार्यालयों व शाखाओं में अनुपालन व्यवस्था में अनुपालन इकाई के सभी पदाधिकारियों की भूमिका व जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए।

बैंक के शाखाओं के नेटवर्क, किए जाने वाले व्यापार तथा बड़े स्तर पर आम लोगों हेतु उत्पाद के आधार पर बैंक में एक सुदृढ़ अनुपालन संरचनात्मक ढांचा होना चाहिए। जिसका प्रधान मुख्य अनुपालन अधिकारी होना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक के

अनुसार, इसकी नियुक्ति बैंक की अनुपालन नीति के आधार पर निश्चित समय हेतु की जानी चाहिए। जिसे बोर्ड के अनुमोदन तथा आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा हटाया/स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में उसके अनुपालन प्रक्रिया के निर्वहन में लापरवाही अथवा इसके किए गए कार्यों का रिकार्ड पारदर्शी रूप से रखा जाए। साथ ही इन परिवर्तनों की जानकारी बोर्ड और/अथवा बोर्ड के ऑडिट समिति को दी जानी चाहिए।

प्रधान कार्यालय के अनुपालन विभाग को प्रत्येक व्यापार क्षेत्र, उत्पाद तथा प्रक्रिया में अनुपालन जोख़िम की पहचान करने में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि इस जोख़िम के समाधान हेतु इन क्षेत्रों में कार्य करने वालों को नियमित दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। इस विभाग की जिम्मेदारी है कि वह समस्त क्षेत्रों में कार्य करने वालों के अनुपालन विफलता का विवरण आवर्ती रूप से उन्हें प्रेषित करें। अनुपालन के क्रियान्वयन की जांच निरीक्षण/ऑडिट से की जायेगी। मुख्य अनुपालन अधिकारी को एसीबी की बैठक में आमंत्रित किया जाना चाहिये ताकि वह अनुपालन विफलता की जांच कर सके तथा यदि ऐसा हो तो उसके लिए आवश्यक कदम उठा सके ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। अनुपालन के दृष्किोण से एक जांच-सूची भी निरीक्षण/तत्संबंधी ऑडिट का भाग बनाया जा सकता है। बैंक द्वारा किसी भी नए उत्पाद को तैयार करते समय मुख्य अनुपालन अधिकारी की सहमति/मत सदैव ले लेना चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि समान रूप से वह सांविधिक/विनियामक दिशा-निर्देशों में सम्मिलित न हों। क्षेत्र में कार्य करने वालों को मुख्य अनुपालन अधिकारी को मित्र, दार्शनिक तथा पथ-पदर्शक के रूप में लेना चाहिए।

बैंकिंग जगत में अनुपालन प्रक्रिया नई होने के कारण अभी विकासशील चरण में है। हालांकि, यह तथ्य है कि सम्पूर्ण अनुपालन प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सांविधिक, विनियामक तथा प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों को पूर्णतया अनुपालन होने के साथ-साथ वरिष्ठ कार्यपालकों को अनुपालन क़ानून, नियम तथा मानकों के विषय में परामर्श देना भी है।

- प्र.का. मानव संसाधन विकास विभाग
नई दिल्ली

दयालुता

- दविन्द्र सिंह

महाराजा रणजीत सिंह जितने महान राजा थे उतने ही वो दयालु भी थे। वे अपनी प्रजा का दुःख-दर्द जानने के लिए अक्सर अपने राज्य में घूमा करते थे। एक बार वो अपने राज्य में घूम रहे थे कि तभी उनके माथे पर एक पत्थर आ कर लगा, माथे से ख़ून बहने लगा, सभी कर्मचारी घबरा गए। राजवैद्य को बुला कर मरहम पट्टी करवाई गई। महाराज के अंगरक्षक एक बुढ़िया को पकड़ कर लाए, जिसने वो पत्थर फैंका था, जो महाराज के माथे पर लगा था। बुढ़िया डर के मारे थर-थर कांप रही थी। महाराज ने उस बुढ़िया से पूछा कि उसने उन्हें पत्थर क्यों मारा तो बुढ़िया रोते हुए हाथ जोड़ कर बोली कि महाराज मेरा बच्चा कल से भूखा था। सामने पेड़ पर फल लगा हुआ था, मैं उसे तोड़ना चाहती थी ताकि उसको खा कर बच्चा भूख मिटा सके, लेकिन दुर्भाग्य से वो पत्थर आपको लग गया मेरा इसमें कोई दोष नही। सभी लोगों ने कहा कि इस दुष्ट बुढ़िया को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। महाराजा रणजीत सिंह ने सभी की बात सुनी और बड़े धैर्य से बोले कि एक बेज़ुबान और बिना अक्ल का पेड़ अपने ऊपर पत्थर फैंकने पर फल देता है तो क्या मैं उस पेड़ से भी गया-गुजरा हूँ कि अपने ऊपर पत्थर फैंकने वाले को कुछ भी न दूँ उल्टा उसको दंड दूँ। महाराज ने हुक्म जारी किया कि उस बुढ़िया को अनाज और उसकी आवश्यकता अनुसार धन दिया जाए।

- शाखा पिहोवा

बैंकों में सतर्कता प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाना-कुछ सुझाव

- जसवंत सिंह जंस

आधुनिक युग बैंकों के लिए चुनौतीपूर्ण समय है और प्रतिस्पर्धा इस बात की नहीं है कि सेवाएं कितनी कुशलता और तत्परता से दी जाती हैं बल्कि इस बात की भी है कि ये सेवायें बैंक कर्मचारियों की तरफ से कितनी ईमानदारी और कर्मठता से प्रदान की जाती हैं। सतर्कता को नकारात्मक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि निगमित लक्ष्यों को प्राप्त करने को प्रबंधन का सबसे पारदर्शी और नैतिक तरीका माना जाना चाहिए ताकि संगठन का स्वास्थ्य और साख अच्छी बनी रहे। ''केन्द्रीय सतर्कता आयोग'' और अन्य संबंधित संस्थायें इस प्रणाली में सुधार के लिए प्रयास कर रही हैं जो न केवल सतर्कता प्रशासन में सुधार लायेंगी बल्कि बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के कामकाज में निष्पक्षता और साफ़-सफ़ाई की संस्कृति भी सुनिश्चित करेंगी। ''केन्द्रीय सतर्कता आयोग'' ने ''भागीदारी सतर्कता'' क सिद्धांत प्रविष्ट किया है तथा समस्त सहभागियों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। आज के समय में वह संस्था ज़्यादा कुशल मानी जाएगी जिनकी सतर्कता की दार्शनिकता में पता लगाने, जांच करने और दंडात्मक उपायों को आगे रखने की बजाय उनके कर्मचारियों की प्रभावशीलता के लिए रोकथाम, सुधार और शिक्षा की नीति पर ज़्यादा जोर दिया जाता हो।

सतर्क निगाहों के लिए, शुरूआती स्तर पर तीन (अ) को ध्यान में रखना होगा। बैंक प्रणाली को (ओफेंडर) यानि अपराधी पर नज़र रखनी चाहिए, (ओबजेक्विअव) यानि उसके उद्देश्य को पराजित करना और (ओपरचुनिटि) यानि ऐसा अवसर प्रदान नहीं करना चाहिए ताकि वह धोखाधड़ी कर सके। पहला मुद्दा है कि अपराधी (ओफेंडर) जो कि शुरुआती दौर पर धोखाधड़ी/जालसाजी के लिए प्रतिबद्ध है, के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाए। ये व्यक्ति स्टाफ़-सदस्य भी हो सकते हैं और बाहर के व्यक्ति भी हो सकते हैं। दूसरा (अ) यानि उनके उद्देश्य (ओबजेक्टिव) के बारे में अध्ययन करना, जिसका गहराई से उनकी मानसिकता के स्तर पर पता लगाना होगा। जालसाजों का उद्देश्य होता है अनुचित तरीके से धन कमाने के लिए बैंक में काम करने वालों की कमज़ोरियों की जानकारी रखना। तीसरा (अ) यानि अवसर (ओपरचुनिटि) मौका, जो कि जालसाज को स्टाफ़-सदस्य उपलब्ध कराता है, जैसे कि प्रविष्टियों को समायोजित नहीं करना, ज्ञान की कमी और ऐसे अन्य तरीकों आदि से जो कि बैंक नियमानुसार नहीं होते।

यह पूर्णतः स्पष्ट है कि बैंकिंग परिवेश में बहुत जल्दी और ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ पर पाँच 'एम' अर्थात मैन, मशीन, मैटिरियल, मनी और मैथड का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रबंधन ज़रूरी है। इन 'एम' में से किसी एक का रिसाव भी भारी पड़ सकता है। इसलिए ऐसी प्रणाली को सुनिश्चित करके रखना चाहिए जिससे किसी भी रिसाव या कमज़ोरी को समय पर पकड़ा जा सके तथा इन 'एम' की कार्य-कुशलता पर लगातार नज़र रखी जा सके ताकि ये 'एम' संगठन को अच्छी सेवाएं दे सकें। किसी भी संगठन में मानव संसाधन मुख्य संपत्ति और आधार स्तंभ होता है। मानव-संसाधन स्वयं अनुशासित, कुशल और दूरदृष्टा होना चाहिए ताकि उनकी छुपी हुई प्रतिभा सामने आ सके और वह अपने किये हुए काम को दिखाते समय उच्चतम अखंडता और नैतिक मानकों को बनाये रखें।

कार्यरत मशीनरी बेहतर होनी चाहिए जिसकी लागत कम हो, जो काम करने में दक्ष हो तथा जिसका उपयोग करना आसान हो और जो सुरक्षा के उच्चतम मानकों को भी पूरा करती हो। मैटिरियल और मैथड, शक्ति के अन्य मुख्य आधार स्तंभ है यदि इनका सही ढंग से कार्यान्वयन हो तो परिचालित जोख़िम (ओपरेटिंग रिस्क) को कम करके लंबा रास्ता तय हो सकता है। जैसा कि बेसिल-।। मानदंड उजागर करते हैं। बैंक की आपरेटिंग प्रणाली की समय-समय पर निगरानी और समीक्षा की जानी चाहिए ताकि ख़ामियों का पता चल सके और उनका निवारण किया जा सके।

इसी प्रकार, बैंक मे प्रणाली और प्रक्रिया समयबद्ध होती है और ये सिस्टम के प्रभावी परिचालन को लंबे समय के लिए सुनिश्चित करते हैं। इनसे आदमी और मशीन द्वारा किये गये ग़लत कार्यों को पकड़ा जा सकता है और उनको सुधारा जा सकता है और बैंक की वित्तीय संपत्ति को बचाया जा सकता है। यदि इन शर्तों को प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जाये तो कदाचार को रोकने में बैंक में सिस्टम ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी हो जाएगा। इसके विपरीत यदि यह कार्यान्वयन में कमज़ोर और क्षीण हो तो सिस्टम फेल हो जाता है और बुराई करने पर तुले लोगों के लिए रास्ता अतिसंवेदनशील हो जाता है। संवेदनशील पदों की पहचान करना और इन पदों पर काम करने वाले स्टाफ़ की रोटेशन सुनिश्चित करना भी एक मानक है, जो भ्रष्टाचार से निपटने में ''मील का पत्थर'' साबित होगा।

विकास और जोख़िम प्रबंधन हेतु सतर्कता प्रशासन भी एक यंत्र है। पारदर्शी और नैतिक तरीके, जो यह सुनिश्चित करें इनसे प्रभावी गवर्नेंस बन पायेगा और संस्था की छवि को पब्लिक और विनियामकों की नज़र में बढ़ावा मिलेगा। सतर्कता प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए बढ़िया तरीका है कि प्रत्येक कर्मचारी खुद को तथ्यतः सतर्कता अधिकारी बना दे। संस्था के काम-काज पर ''वाचडोग'' की तरह पैनी निगाह रखें। यदि काले धन का पता लगे या संदिग्ध प्रविष्टि नोट की जाए तो इन्हें सक्षम प्राधिकारी के नोटिस में लाया जाये। सतर्कता प्रत्येक कर्मचारी का कर्तव्य होना चाहिए। यह आधारभूत सतर्कता उपकरण जालसाजी को रोकने में अच्छे परिणाम देंगे। सीटी बजाओ पालिसी (विसल बलोअर पॉलिसी) भी प्रोत्साहित की जाये ताकि निगमित भ्रष्टाचार और जालसाजी को रोकने में यह एक लाभदायक हथियार साबित हो सके। इसी प्रकार एग्रीड लिस्ट और संदिग्ध प्रकृति वाले अधिकारियों की सूची बनाते समय और ऐसे अधिकारियों की उचित नियुक्ति से संस्था सतर्कता व चलन में प्रौढ़ बन सकेगी।

इसके साथ ही, ठेके देने वालों अर्थात् (टैंडर) आपूर्तिकर्ताओं की पहचान, उनके भुगतान पर नज़र रखना, कार्यों की समय-सारणी और प्रपक्वता पर नज़र और परामर्शदाताओं की नियुक्ति जैसी अनियमितताओं को रोकने के लिए भी एक उचित सिस्टम बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, समस्त विभागों के आपसी सहयोग और दूसरों के साथ तालमेल से काम करने की गंभीर भावनात्मक एकीकरण की आवश्यकता है। सतर्कता सिस्टम से संबंधित व्यक्तियों को सीवीसी, सीबीआई आदि के कार्यों से संबंधित उचित इंटरैक्टिव सत्र, कार्यशालाएं और सेमिनारों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाए ताकि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उचित प्रबंध-तंत्र का उत्थान हो सके।

- प्र.का. सतर्कता विभाग
नई दिल्ली

हमारा बैंक

- सुप्रिया

आज से 103 साल पहले पावन दिन यह आया था
भारत माँ के वीर सपूतों ने मिल पंजाब एण्ड सिंध बैंक बनाया था।

अंग्रेजों को दिखा दिया था भारत में गल नहीं सकती अब उनकी दाल
जाग उठे हैं चारों ओर भारत माँ के लाल।

देश का धन देश में रहे यह कर्तव्य हमारा है
भारत माँ के वीरों ने मिल बेड़ा आज उठाया है।

लक्ष्य पूर्ण हुआ है उनका सामने है परिणाम
भारत माँ के उन वीरों को मेरा बारम्बार प्रणाम

पीएसबी को हमें उन्नति के शिखर पर पहुँचाना है
और बैंकों के आकाश में इसे जगमग चमकाना है।

प्र.का. सामान्य प्रशासन विभाग, नई दिल्ली

शपथ

-विशाखा शर्मा

भगवान को साक्षी मान कर
लेते हैं हम आज शपथ।
पंजाब एण्ड सिंध बैंक को पहुचाएँ हम
उन्नति और विकास के पथ पर।
एकजुट होकर हम सब
मेहनत और ईमानदारी से।
तरक्की से परिवर्तन लाएंगे
बैंक में वफ़ादारी से।।
ग्राहक की खुशी, ग्राहक की
संतुष्टि के लिए करेंगे हम सेवा।
देश में हम सबसे आगे होंगे
जब खुश होंगे हमारे ग्राहक देवा।।
सभी अपनी कार्य कुशलता से
बढ़ाएंगे बैंक की छवि
विश्व के नभ के ऊपर
पंजाब एण्ड सिंध बैंक चमके बन कर रवि

शाखा सनोली रोड, पानीपत

वित्तीय-समावेशन और वित्तीय साक्षरता

- के. एस. खुराना

"वित्तीय समावेशन केवल एक प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि बैंकों का एक मिशन है ताकि जन-साधारण के वंचित तथा अयोग्य खंडों को सशक्त किया जा सके तथा बैंकों का प्रयास है कि इन लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़े और इन्हें समाज की उत्पादक आस्ति बनाए"।

आम मनुष्य को वित्तीय आवश्यकताओं के प्रति सचेत करने एवं वित्तीय सुविधाविहिन लोगों को बैंकिंग अथवा वित्तीय समावेशन के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के कुशल प्रयासों को साकार करने के लिए अलग-अलग मॉडल को अपनाया जाने लगा है। वित्तीय-समावेशन का यह प्रयास है कि वित्तीय सुविधाविहिन लोगों को न केवल वित्तीय सुविधाओं से लाभान्वित किया जा सके, बल्कि उन लोगों को वित्तीय या बैंकिंग के प्रति जागरूक भी बनाया जा सके।

भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। भारत की संपूर्ण जनसंख्या की आधे से भी अधिक आबादी की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। ग्रामीण जनता के इस जीविकोपार्जन के साधनों का निरंतर अस्तित्व बनाये रखने के लिए व्यापक चुनौतियाँ हैं इसका सर्वप्रमुख कारण कृषि-क्षेत्रों में व्याप्त विभिन्न प्रकार के जोख़िम हैं। किसान सदियों से आम जनता से लेकर सत्तासीन लोगों तक के पेट पालक के रूप में सम्माननीय रहे हैं, व्यावहारिक रूप से उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर है। आज खाद्य सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की भयावह तस्वीर पेश की जा रही है। खाद्य संकट के प्रति हम गंभीरता से सोच रहे हैं, साथ ही इसके उत्पादक के प्रति हमारी नीतियाँ संतोषजनक नहीं है। सरकार ने किसानों के लिए कई योजनायें निर्धारित की हैं, जिससे किसानों को राहत मिली है। किसानों के सामने उनकी वित्त-व्यवस्था की समस्या सबसे बड़ी चुनौती है। जिसके लिए वित्तीय-समावेशन के अंतर्गत इस चुनौती का हल निहित है। 2008 में वित्तीय- समावेशन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन ने वित्तीय-समावेशन को परिभाषित करते हुए कहा था कि "कम आय व कमज़ोर वर्गों के लिए ऋण व वित्तीय सेवाओं तक सुगमतापूर्वक पहुँच ही वित्तीय-समावेशन है।" इस प्रकार हम वित्तीय-समावेशन को सही तरीके से यदि ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करते हैं, तभी ग्रामीण ऋण की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर पायेंगे। यह वास्तविकता है कि किसान ऊँची ब्याज-दरों पर साहूकारों से ऋण प्राप्त करते हैं। इसके विकल्प के रूप में सरकार ने किसानों को अल्प-कालीन सुविधापूर्ण ऋण प्रदान करने के लिए 1998 में 'किसान क्रेडिट योजना' का शुभारंभ किया। इसके अलावा जोख़िमों के विकल्प के रूप में 'फसल बीमा योजना' को भी लागू किया गया। इस प्रक्रिया व नीति से निश्चित रूप से किसान अपने ऋण आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन वित्त-व्यवस्थाओं से लाभ प्राप्त करेंगे। भारत सरकार ने नाबार्ड जैसी संस्थाओं को इतना सुदृढ़ कर दिया है ताकि वे किसानों की वित्तीय-ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ग्रामीणों को वित्तीय-सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने वित्तीय-समावेशन और ऋण उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 1982 में नाबार्ड का गठन किया। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत हम एक और नीति को अमल में ला सकते हैं जिसके

अंतर्गत ग्रामीणों को बैंकों से जोड़कर कृषि खाता खोला जा सकता है जिसमें बैंकों को भारतीय खाद्य निगम और कृषक के बीच एक कड़ी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

वर्ष 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का सहकारिता के क्षेत्र में बहुत अहम योगदान रहा है। इसने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जिस तरह से सहकारी बैंकों का उपयोग किया है, वह सराहनीय है। इसने न केवल सैद्धांतिक तौर पर सहकारी बैंकों की भूमिका को माना है, बल्कि इसे लागू करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाया हैं। देश में विस्तृत रूप से वित्तीय-समावेशन को लागू करने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसके लिए कुछ रणनीति बनाई है। भारत सरकार ने सुदूर क्षेत्र में अवस्थित गाँवों तक वित्तीय-सेवा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को अपने साथ शामिल किया है। दोनों ने मिलकर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कई सुधार करने की नीति बनाई है। भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार इनकी निगरानी करेगी, ताकि इसका फ़ायदा ग़रीब लोगों तक पहुँच सकें। बीसी-आईसीटी-सीबीएस (बिजनेस कॉरस्पांडेंट-इंफोर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी-कोर बैंकिंग) द्वारा इस सेवा का विस्तार उन क्षेत्रों तक किया जाएगा, जहाँ अभी तक वित्तीय-सेवा की पहुँच नहीं हो पाई है। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस विचार से ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय-सेवा उपलब्ध कराने संबंधी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, लेकिन यह एक बेहतर विकल्प ज़रूर उपलब्ध कराएगा।

भारत सरकार को वित्तीय समावेशन के एजेंडे को सफ़ल बनाने के लिए ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना को और बेहतर करना होगा। लोगों तक इनकी पहुँच बढ़ानी होगी। इसकी भूमिका को बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने न केवल पीएसीएस को वाणिज्यिक बैंकों के व्यापारिक अभिकर्ता के रूप में काम करने की अनुमति दी है, बल्कि किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक बैंकों और किसानों के बीच की कड़ी की भूमिका निभाने के लिए भी अनुमति दी है।

इस अभियान के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं पहुँचाने और वित्तीय शिक्षा देने के प्रयास का एक महत्वपूर्ण पहलू है "भाषा"। भारत के अधिकांश प्रदेशों में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में सार्थक योगदान दे रही हैं। भाषा के साथ वे माध्यम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जो इस अभियान को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उनमें समाचार-पत्र, व्यवसाय प्रतिनिधि और स्वयं सहायता समूहों का उल्लेख किया जा सकता है।

भाषा-संगठन और जनता के बीच सेतु का कार्य करती है, भारत के कई प्रदेशों में विभिन्न वित्तीय संगठन, सरकारी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय समावेशन का कार्य कर रहें हैं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण लोगों को जागरूक बनाने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं न्याय तथा सामाजिक अधिकार के संबंध में मीडिया के द्वारा विभिन्न परियोजनाएं जन-हित में जारी की जाती रही हैं ताकि उनका सामाजिक उन्नयन हो सके, वे किसी भी सामाजिक शोषण के शिकार न हो और उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके। उन्हें सामाजिक अधिकार प्राप्त हो, उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके। उनका सामाजिक स्थान बनाने के लिए सरकार सदैव प्रयासरत रहती है। उसी प्रकार उनकी वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय साक्षरता के लिए उन्हें सजग करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय रिज़र्व बैंक के माननीय गवर्नर श्रीमान डी. सुब्बाराव ने वित्तीय साक्षरता के संसाधनों को महत्वपूर्ण माना है, उनके अनुसार, "वित्तीय साक्षरता के संसाधनों के बेहतर आबंटन को सहायक माना है, जिससे अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास की संभावना मजबूत होती है। अगर हम अधिकांश आबादी को वित्तीय सेवाओं के व्यापक दायरे में ला सकते हैं, तो घरेलू व कुल राष्ट्रीय बचत को और भी बढ़ा सकते हैं।"

वित्तीय साक्षरता के लिए आवश्यक है ग्रामीण और वित्तीय सुविधाविहिन लोगों की मानसिकता एवं उनकी आर्थिक स्थिति। प्रायः देखा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग वित्तीय रूप से साक्षर होने के बावजूद भी वित्तीय समावेशन के दायरे में शामिल नहीं होना चाहते, वे अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा नहीं करते। उनकी इस नकारात्मक भावना को बदलना ही वास्तव में चुनौती है। डॉ. सुब्बाराव जी के अनुसार, "वित्तीय जागरूकता एवं साक्षरता का अभाव वित्तीय उत्पादों की पहुँच की सीमा उपलब्ध होने के बावजूद उनका इस्तेमाल न कर पाने की मानसिकता प्रायः ग्रामीण लोगों में दिखाई देती है। लोगों की इस आदत को और स्वभाव को बदलना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय साक्षरता के लिए विभिन्न परियोजनाओं को ऐसे इलाके में लागू कर रहा है। यह प्रयास स्वयं सेवी संगठन, ग़ैर सरकारी संगठन, ग्रामीण विकास एजेंसी, स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा सकता है।

-प्र.का. राजभाषा विभाग
नई दिल्ली

नई शाखाएँ

दिनांक 27 फरवरी 2012, शाखा पलवल।

दिनांक 27 फरवरी 2012, शाखा अलवर।

दिनांक 28 फरवरी 2012, शाखा भीलवाड़ा।

दिनांक 29 फरवरी 2012, शाखा किच्छा।

दिनांक 7 मार्च 2012, शाखा गोहलवर।

दिनांक 12 मार्च 2012, शाखा जलालपुर।

दिनांक 14 मार्च 2012, शाखा राहों।

दिनांक 14 मार्च 2012, शाखा दीदारेवाला।

नई शाखाएँ

दिनांक 24 मार्च 2012, शाखा नासिक।

दिनांक 24 मार्च 2012, शाखा चिचंवाड़, पुणे।

दिनांक 24 मार्च 2012, शाखा आईएफबी, पुणे।

दिनांक 24 मार्च 2012, शाखा खीरों।

दिनांक 26 मार्च 2012, शाखा रायबरेली।

दिनांक 27 मार्च 2012, शाखा गोला।

दिनांक 27 मार्च 2012, शाखा गुमटीकलां।

दिनांक 29 मार्च 2012, शाखा वर्धमान

नई शाखाएँ

दिनांक 30 मार्च 2012, शाखा मानूपुर।

दिनांक 31 मार्च 2012, शाखा मंडियाणी।

दिनांक 03 मई 2012, शाखा बल्लभगढ़।

दिनांक 28 मई 2012, शाखा जसपालों।

शाखा-स्थानांतरण

शाखा अम्ब के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री रविंद्र गोसाई, महाप्रबंधक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, चंडीगढ़।

शाखा पुष्पांजली एंकलेव के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए आंचलिक प्रबंधक श्री जी. एस. सेठी।

कस्टमर मीट

बैंक द्वारा जगराओं में राईस शैलर ओनर्स तथा आढ़तियों हेतु 'कस्टमर-मीट' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक श्री पी. के. आनन्द, महाप्रबंधक श्री रविंद्र गोसाई, महाप्रबंधक श्री वी. के. श्रीवास्तव, लुधियाना अंचल के आंचलिक प्रबंधक श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता तथा आंचलिक प्रबंधक फरीदकोट श्री मुख़्तियार सिंह भी उपस्थित थे। उक्त अवसर पर लिए गए छाया-चित्रों की कुछ झलकियाँ।

वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियाँ

विविध गतिविधियाँ

जिला-मोगा में आयोजित किसान जागरूकता कैम्प तथा ऋण-मेले में उपस्थित कार्यकारी निदेशक श्री पी. के. आनन्द महाप्रबंधक श्री विजय श्रीवास्तव एवं महाप्रबंधक श्री रविंद्र गोसाईं।

वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत शाखा मल्लियाँ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित महाप्रबंधक श्री विजय श्रीवास्तव, अमृतसर अंचल के आंचलिक प्रबंधक श्री कुलबीर सिंह व अन्य गणमान्य व्यक्ति।

फरीदकोट स्थित ग्रामीण स्वः रोजगार सृजन संस्थान में प्रशिक्षण ग्रहण करते हुए लाभार्थी।

बैंक के वित्तीय-समावेशन कार्यक्रम-ख़बरों के आईने से

वित्तीय समावेशन एवं ऋण जागरूकता शिविर

शाखा मल्लियाँ, ज़िला अमृतसर

शाखा लहंगपुर, ज़िला मिर्ज़ापुर

शाखा पटोहरा, ज़िला मिर्ज़ापुर

शाखा जिन्दौर

शाखा अम्ब द्वारा गाँव अन्दौरा में कृषि कैम्प में उपस्थित बैंक अधिकारी व ग्राम निवासी।

आंचलिक कार्यालय, दिल्ली-III, दिनांक 07.03.2012

आंचलिक कार्यालय, दिल्ली-II, दिनांक 13.03.2012

आंचलिक कार्यालय, लखनऊ, दिनांक 19.03.2012

आंचलिक कार्यालय, दिल्ली-I, दिनांक 24.03.2012

आंचलिक कार्यालय, लखनऊ, दिनांक 10.05.2012

आंचलिक कार्यालय, अमृतसर (ग्रामीण), दिनांक 21.05.2012

आंचलिक कार्यालय, हरियाणा, दिनांक 29.05.2012

आंचलिक कार्यालय, गुरदासपुर, दिनांक 05.06.2012

आंचलिक कार्यालय, दिल्ली-II, दिनांक 08.06.2012

आंचलिक कार्यालय, हाल बाज़ार, अमृतसर, दिनांक 13.06.2012

आंचलिक कार्यालय, लुधियाना, दिनांक 13.06.2012

आंचलिक कार्यालय, दिल्ली-I, दिनांक 21.06.2012

राजभाषा समाचार

बैंक की गृह-पत्रिका राजभाषा अंकुर के मार्च 2012 अंक का विमोचन करते हुए कार्यकारी निदेशक श्री पी. के. आनन्द एवं अधिकारीगण।

नराकास लुधियाना की 61वीं बैठक में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी श्रेष्ठ कार्य निष्पादन हेतु श्री परमजीत सिंह बेवली को पुरस्कृत करते हुए श्री जी. एस. रंधावा, मुख्य आयकर आयुक्त एवं नराकास अध्यक्ष।

बैंक नराकास लखनऊ द्वारा आयोजित राजभाषा सम्मेलन का संचालन करते हुए श्री पवन कुमार जैन, राजभाषा प्रबंधक, आंचलिक कार्यालय, लखनऊ।

दिनांक 18.05.2012 को गृह-मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी क्षेत्र) के उपनिदेशक (कार्यान्वयन) श्री राकेश कुमार, आंचलिक कार्यालय, देहरादून का राजभाषाई निरीक्षण करते हुए।

विविध

हमारे बैंक के पूर्व महाप्रबंधक श्री जे. एस. कथूरिया को उनके बैंकिंग क्षेत्र में योगदान को देखते हुए भारतीय बैंक संघ (दिल्ली चैप्टर) द्वारा बतौर सलाहकार व दिल्ली चैप्टर का प्रमुख नियुक्त किया गया। पिछले दिनों पब्लिक सैक्टर बैंकों की बैठक के आयोजन के अवसर पर उनकी भूमिका सराहनीय रही। इस बैठक के अवसर पर श्री कथूरिया, वित्त-मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी, वित्त-राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा एवं बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री पी. के. आनन्द के साथ परिलक्षित हैं।

शाखा हावड़ा द्वारा स्थानीय गुरूद्वारा सिख संगत में प्रायोजित कार्यक्रम के दौरान आंचलिक प्रबंधक, कोलकाता, श्री दीपक मैनी तथा स्टाफ़-सदस्यों द्वारा की गई सहभागिता के भाव-पूर्ण दृश्य। इस अवसर पर हावड़ा शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक ने बैंक की गतिविधियाँ एवं योजनाओं के संबंध में जानकारी भी दी।

आशा ही जीवन है

मनजीत कौर

आज के इस आधुनिक युग में, जहाँ हर कदम पर प्रतिस्पर्धा है, हर किसी का प्रयास रहता है कि उसका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावी हो। इसके लिए मात्र तंदुरुस्त शरीर या सुंदर चेहरा पर्याप्त नहीं होता। व्यक्तित्व आकर्षक बनता है - सकारात्मक विचारों से, सुंदर भावों से और अच्छे कर्मों से। जब हमारी सोच और कर्म सकारात्मक होते हैं तो हमारे आस-पास के वायुमंडल में स्वतः ऐसी तरंगे उत्पन्न होती हैं जो दूसरों को हमारी और आकर्षित करती हैं। व्यक्तित्व निर्माण में विचारों की भूमिका बहुत प्रमुख है, क्योंकि हमारी सोच का प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। अस्वस्थ विचार हमारे मन को कुंठित व शरीर को जकड़ लेते हैं और उत्तम विचार हमारे मन और तन को प्रफुल्लता से भर देते हैं। किसी ने सही कहा है - ''अच्छा है कि हम सुंदर हैं, पर इससे भी सुंदर है कि हम अच्छे हैं।''

वास्तव में गुस्सा, दुर्भाव, ईर्ष्या, प्रतिरोध इत्यादि हमारे विवेक को नष्ट करते हैं और सोचने की शक्ति को क्षीण करते हैं। ध्यान न देने पर हम लगातार नकारात्मक विचारों के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। नेगेटिव चिंतन से उत्पन्न तनाव हमारी जीवन-शक्ति को क्षीण करता है और धीरे-धीरे इसका असर शारीरिक प्रणालियों पर भी पड़ने लगता है। शारीरिक प्रणालियाँ सुचारू रूप से काम नही कर पातीं और उक्त रक्त-चाप, सांस की बीमारी, अधिक अम्ल उत्पन्न होना, पाचन-शक्ति कमज़ोर होना जैसे रोग हमें घेर लेते हैं और हम मानसिक रोगों के शिकार भी हो सकते हैं। विचारों से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा डॉक्टर भी नहीं कर सकते। ग़लत सोच से क्रोध, चिड़चिड़ापन, तनाव होता है और इनसे शरीर की कई माँसपेशियाँ एक साथ प्रभावित होती हैं तथा ऊर्जा के संचालन में अवरोध उत्पन्न करती हैं। परिणामस्वरूप मानसिक और शारीरिक मशीनरी कमज़ोर होती चली जाती है।

स्वास्थ्य रहने के लिए शरीर और मन का ताल-मेल बहुत आवश्यक है। हमारी संस्कृति में कर्म और फल को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। हम यह मानते हैं कि जैसा हम बीज बोएंगे, वैसा ही फल पाएंगे। जीवन खाते में न केवल जो अच्छा-बुरा हम करते हैं, उसकी प्रविष्टियां होती हैं, अपितु जो हम सोचते हैं वह भी दर्ज हो जाता है। तदानुसार समय आने पर हमें अपने अच्छे-बुरे कर्मों का फल मिलता रहता हैं। हम अपने खाते से वह ही निकाल पाएंगे जो हमने डाला होगा, ''बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए।''

यह तो हम जानते हैं कि हमारा दिमाग विचारों का ताना-बाना हर समय बुनता रहता है और दिमाग के घोड़े बेलगाम हों तो अच्छे-बुरे की समझ को रौंद डालते हैं। हमारा अधिकतम समय अतीत की उधेड़-बुन या भविष्य की कल्पना में बीत जाता है। या तो हम अच्छी-बुरी स्मृतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य के काल्पनिक संसार में खोए रहते हैं अन्यथा किसी अनहोनी के डर से ग्रसित रहते हैं। इन सब के बीच वर्तमान हाथ से फिसलता चला जाता है। वास्तविकता तो यह है कि जो कुछ वर्तमान में हो रहा है, हमें अपना सारा ध्यान उसी पर देना चाहिए। हर पल के प्रति जागरूक होना चाहिए, ताकि हम 'आज' के उचित निर्णय ले पाएं, जिनका असर हमारे आने वाले कल पर होगा। परिणाम जो भी हो, अफ़सोस तो नहीं होगा कि हमने बिना सोचे-समझे फ़ैसला ले लिया था। वर्तमान के प्रति जागरूक होने के लिए हमें अपने मस्तिष्क में चल रहे विचारों के प्रति सतर्क होना होगा। धीरे-धीरे अभ्यास से जब हम सोच पर नियंत्रण कर, नकारात्मक सोच की जगह, सकारात्मक सोच को देने में सक्षम होते चले जाएंगे तो परिणाम भी अच्छे मिलने लगेंगे। हम अपने लिए वह चुने जो कि हमारे लिए अच्छा है, न कि वह जो दूसरों के लिए बुरा है। कभी-कभी हम यह सोचते हैं कि दूसरे के साथ बुरा होने से हमें लाभ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता - अपने स्वार्थ से ऊपर उठ, सर्वहित की सोच ही फलीभूत होती है जो हमें आंतरिक खुशी देती है।

विचार हमारे शरीर को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से प्रभावित करते हैं। पर मनोविज्ञान का निष्कर्ष है-सोचना मात्र ब्रेन का ही कार्य नहीं है। पूरा शरीर विचारों से प्रभावित होता है। विचार जितने पवित्र, पारदर्शी, विरल और मौलिक होते हैं व्यक्ति उतना ही अधिक आस्थावान, संवेदनशील, धर्म-परायण और संयमरत बनता है। मनोस्थिति सहज और आनन्दमय बनती है - क्योंकि जीवन के उतार-चढ़ाव में मुश्किलें आनी ही हैं-में सहायक सिद्ध होती हैं। जीवन-पथ की मुश्किलें छोटी या बड़ी हो सकती है, बदलती रहती हैं लेकिन हमारी आंतरिक सोच और शक्ति के अनुसार ही इनका प्रभाव हम पर पड़ता है। परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं - हमारी सकारात्मक सोच उनसे निपटने की हमें शक्ति देती है। जीवन जीने की खुशियाँ फैलाने और बटोरने की जीवन-पथ पर मिल-जुल कर हर हाल में हँसी-खुशी आगे बढ़ने की। निराशा छोड़ आशा के पथ पर चलने की, स्वयं पर भरोसा कर, हिम्मत करके सपने पूरे करने की।

- आंचलिक कार्यालय-I, नई दिल्ली

मैं और मेरे सपने

- वैभवी मल्होत्रा

हर इंसान के अपने जीवन में कुछ-न-कुछ सपने ज़रूर होते हैं। ये सपने व्यक्ति के सामने तब आते हैं, जब उसका मानसिक स्तर कुछ बढ़ने लगता है। मैंने भी अभी दसवीं की परीक्षा दी है और परिणाम आने में कुछ दिन बाकी हैं, परंतु पहले के परिणामों की तरह शायद इस बार मुझे परिणाम की चिंता नहीं अपितु कैरियर की चिंता ज़्यादा है। एक दिन मैंने बैठकर इस विषय पर खूब सोचा तथा यह निर्णय लिया कि मेरे इन विचारों को सुनने का सौभाग्य रखने वाले पहले व्यक्ति मेरे माता-पिता ही होंगे। फिर होना क्या था। जैसे ही पापा ऑफ़िस से घर आए तुरंत उन्हें पानी पिलाया तथा चार कप चाय बनाकर ड्राइंग रूम में लाई। फिर मम्मी-पापा और बड़े भैया को जबरदस्ती खींचकर सोफ़े पर बैठाया तथा एक सोफ़े पर खुद बैठी और पूरे फ़िल्मी राजनीतिक अंदाज़ में अपनी रामकथा सुनानी आरंभ की-

''आदरणीय माता-पिता तथा मेरे बड़े भैया!'' आप सभी को यह जानकर अत्यंत खुशी होगी कि मैंने अपने चमकदार भविष्य का निर्णय ले ही लिया है तथा आप शायद इसे अपना सौभाग्य समझें कि आप तीनों मेरे पूर्णतः अनुशासित प्लान को सुनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, तो मैंने यह निश्चय किया है कि दसवीं के बाद मैं मेडिकल लाइन में जाऊंगी। फिर अपने पहले से तेज़ दिमाग से और कड़ी मेहनत से एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लूंगी। उसके पश्चात् मैं पूरे मन से पढ़ने में लगी रहूँगी और एम.बी.बी.एस. में अपनी ज़िंदगी के 5 वर्ष बर्बाद करूंगी। इसके पश्चात् भी मैं जानती हूँ कि मैं डॉक्टर तो बन जाऊँगी परंतु उतना महत्व नहीं मिलेगा जितना 5 साल की कड़ी मेहनत से मिलना चाहिए तो जहाँ 5 साल बर्बाद हुए, वहाँ दो वर्षों की बलि और चढ़ाकर मैं एम.डी. भी कर ही लूंगी। तब तक उम्र भी काफ़ी हो जाएगी। फिर समय आएगा डॉक्टर बनने का। मैं एक अच्छे से सरकारी अस्पताल में एक साल काम करूंगी। वह काम होगा सिर्फ़ सीनियर डॉक्टर के पीछे घूमो और उसके नौक़र बनकर रहो। परंतु अपने देश के चमकीले भविष्य के लिए मैं एक साल और बर्बाद करने को तैयार हूँ। फिर मैं एक प्राइवेट अस्पताल में कार्य करूंगी और जब मैं कमाने लगूंगी तो मैं मम्मी से कहूँगी अब आपको काम करने की क्या ज़रूरत है। मैं डॉक्टरों की कालोनी में एक फ़्लैट ले लूंगी जहाँ हम सब मिल के रहेंगे। मम्मी अब आपको ऑफ़िस का काम तो है नहीं फिर मैं यह भी नहीं चाहती कि आप खाली बैठें और बीमार हो जाएं।

55-60 की उम्र से व्यक्ति तभी बीमार पड़ने लगता है क्योंकि वो काम करना छोड़ देता है पर मैं ऐसा आपके साथ हरगिज़ नहीं होने दूंगी। घर का सारा काम तो पहले की तरह आप ही करेंगी। आप यह मत सोचिए कि मैं आपकी उम्र का लिहाज़ किए बिना आपको सिर्फ़ काम पर ही लगाये रखूंगी, बल्कि आपके मनोरंजन के लिए एक बड़ा सा एलईडी टीवी भी लेकर दूंगी ताकि आप बिल्कुल बोर न हो। फिर डॉक्टर कालोनी में बाकी डॉक्टरों की माएं भी होंगी ही। आप उनके साथ गपशप करके भी अपना दिल बहला सकती हैं। जब तक मैं 30 साल की नहीं हो जाती पापा आप जॉब करते रहना भले ही मेरे 30 वर्ष पूरे होते ही आप जॉब छोड़ सकते हैं और आराम कर सकते हैं तथा बातें करने के लिए बाकी डॉक्टरों के पापा भी होंगे। 30 वर्ष में मैं अपना खुद का क्लीनिक भी खोल लूंगी। 2 वर्ष उसे सही से सैट होने में लग जाएंगे। 3 वर्षों में मेरा क्लीनिक पूरी तरह मशहूर हो जाएगा और चलने लगेगा। फिर मैं राजनीति की ओर जाऊंगी। आख़िर मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं कि अपने देश के बारे में ना सोचूं। 32-36 वर्ष तक मैं जगह-जगह जाकर अपना एक प्रैशर ग्रुप बनाऊंगी। जिसके विचार मुझ से मिलते हों यानि ऐसा ग्रुप जहाँ लोग अपनी जेबें भरने की ही न सोचें बल्कि जो सच में देश के विकास तथा सुरक्षा के लिए चिंतित हों। 37 वर्ष में मैं उस प्रैशर-ग्रुप से एक राजनीतिक पार्टी बनाऊंगी तथा चुनाव तो जीतना ही पड़ेगा। उसके लिए लोगों का विश्वास भी जीतूंगी। अंत में जब मेरी पार्टी चुनाव जीतेगी तो मैं अपने देश में क्रांति ला दूंगी। जो भ्रष्टाचार मैं एक आम आदमी की तरह सहती हूँ वो जड़ से मिटा के ही दम लूंगी। पूरे देश में मेरा ही नाम होगा तथा इतिहास के पन्नों पर भी मैं एक क्रांतिकारी के रूप में अपना नाम दर्ज करा ही लूंगी। अंत में मैं हर पाठक से यह विनती करती हूँ कि अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगें तो कृपा करके मेरी पार्टी को वोट ज़रूर दीजिएगा।

सुपुत्री श्रीमती नीलम मल्होत्रा
प्र.का. राजभाषा विभाग, नई दिल्ली

काव्य-मंजूषा

इच्छा

शालू गंगवार

तिल के लड्डू माँग रही है
बिटिया रिक्शे वाले की।

बड़ी भोर से शाम ढले तक
सूरज लड़ा बेचारा
कोहरे का आतंक, दुबककर
सभी मोर्चे हारा
रोज़ पतंगों सी कट जाती
धरणी की इच्छाएँ
आसमान की क्रूर कथायें
किस-किसी को बतलाएँ
झोपड़ियों के ठीक सामने
बिल्डिंग पचपन माले की
तिल के लड्डू माँग रही है
बिटिया रिक्शे वाले की।

एक तरफ छप्पर-छज्जे
छककर पकवान उड़ाते
बड़ी हवेली के ज़र्रे तक
खुरमा बतियां खाते
और इस तरफ खड़ी बेचारी
मजबूरी लाचारी
कैंप लगाकर भाग्य बेचते
रोटी के व्यापारी
तन और मन की सौदे बाजी
कीमत लगी निवाले की
तिल के लड्डू माँग रही है
बिटिया रिक्शे वाले की।

- प्र.का. योजना एवं विकास विभाग
नई दिल्ली

अस्तित्व

हरिन्दर कौर

ग़ौर से सुनो
तो तुम्हे इस भीड़ में
चुप होती, अपनी ही आवाज़
सुनाई देगी,
ढूँढने निकलोगे
तो हर बार
एक बहकावे सी
ये तन्हाई-सज़ा देगी,
दिल से उठेगी
फिर एक कसक ऐसी
कि भीड़ से निकलके
आईने से मांगोगे, साथ तुम
और तुम्हारी अपनी ही नज़रें
मिल के अपने ही अश्क़ों से
तुम्हारा अक्स धुंधला देंगी
हम तो ऐसे ना थे
कहकर, ये
तुम्हारा सच-झुठला देंगी
भागना चाहोगे
तुम अपनी ही हक़ीकत से
मगर तुम्हारी अपनी ही बनाई राहें
ना, तुमको रास्ता देंगी।

- प्र.का. मानव संसाधन विभाग
नई दिल्ली

दिल हो उठा है आज बेक़रार इस तरह....

मनदीप कौर

दिल हो उठा है आज बेक़रार इस तरह
मालूम हुआ कि होता है ये प्यार किस तरह,

पहले ना थी ये बेताबी, ये ख़्याल भी ना था
करते हो हमें याद ये सवाल भी ना था
लगने लगा है सब कुछ बेकार जिस तरह
मालूम हुआ कि होता है ये प्यार किस तरह,

होते ही आँखें चार क्यूँ छाने लगा सुरूर
अगर प्यार था नहीं चाहत तो थी ज़रूर
तू चाहता है मुझको है ऐतबार इस तरह
मालूम हुआ कि होता है ये प्यार किस तरह,

एहसास ना था आस्मां में होते भी हैं तारे
गिन-गिन के कई रातें तेरे नाम गुज़ारे
होने लगा है दिल पे कोई वार जिस तरह
मालूम हुआ कि होता है ये प्यार किस तरह,

बाँहों में जो थे तुम जन्नत क़रीब थी
दोनों जहाँ की खुशियाँ मेरे नसीब थी
बंद आँखों से हो जाए दीदार जिस तरह
मालूम हुआ कि होता है ये प्यार किस तरह,

दिल हो उठा है आज बेक़रार इस तरह
मालूम हुआ कि होता है ये प्यार किस तरह,
मालूम हुआ कि होता है ये प्यार किस तरह...

प्र.का. योजना एवं विकास विभाग
नई दिल्ली

भ्रष्टाचार

गगनदीप कौर भाटिया

भ्रष्टाचार कितना भरा पड़ा है,
उससे ज़्यादा सड़ा पड़ा है...
राजतंत्र के आगे
लोक-तंत्र भी गिरा पड़ा हैं...
रुक जाती है विकास शीलता,
इन नेता लोगों के आगे....
नेता जल्दी-जल्दी सोचे,
बांध बोरी बिस्तर जनता यहाँ से भागे...
नेता सोच रहे बैठकर,
राज्य बढ़े एक दो तीन....
तभी तो बजा पायेंगे ये नेता,
इस ग़रीब जनता की बीन...
देश एक, मंत्री अनेक,
चले सभी लकुटिया टेक....
मांग रहे जनता से भीख,
बाद में मारे जनता को पीक...
नेता लोगों की वजह से,
छाई गाँवों में बदहाली...
इसीलिए कहा जाता है,
ये देश रहा न भ्रष्टाचार से खाली...

प्र.का. योजना एवं विकास विभाग
नई दिल्ली

काफी

अजय कुमार शर्मा

लख समझावां, लख मोड़ां मैं,
दिल वस ना आए ते किंज करां।
एह अमोड़ मुहारा मोड़ देवे,
मेरी पेश न जाए तो किंज करां।

मढ़ी-मसाणी, भौंदा फिरदा,
दर-दर टकरां मारे,
मक्के जाए मदीने जाए,
भौंदा तीर्थ सारे।
एह थां-थां लभदा फिरदा ए,
दिलबर दे दिल विच वसदा ए,
एहनू नज़र ना आए ते किंज करां।
एह अमोड़ मुहारां मोड़ देवे
मेरी पेश न जाए ते किंज करां।

- आंचलिक कार्यालय, अमृतसर (ग्रामीण)

माँ

सुरेश कुमार

ज़िंदगी के इस रफ़्तार में,
मुझे तेरी याद सताती है।
हर परेशान सवालों में
मुझे तेरी याद सताती है
याद करूं मैं उस पल को
जब तू आँचल में मुझे छुपाती थी
अपने गोद में लेने को
तू बेटा-बेटा चिल्लाती थी
तुझसे दूर भागकर
तुझे सताना भी अच्छा लगता था
फिर चुपके से तेरी बाँहों में
सिमट जाना भी अच्छा लगता था
कभी तेरे आँचल के छाँव में
सारा जहान मिल जाता था
अब दुनिया की इस भीड़ में
तेरा आँचल नहीं मिल पाता है
ज़िंदगी की इस रफ़्तार में
मुझे तेरी याद सताती है।
मैं फिर से तेरी आँखों से,
दुनिया को देखना चाहता हूँ
तेरी ही ऊँगली पकड़कर
अपनी मंज़िल पाना चाहता हूँ
तेरा हूँ मैं, तेरे हृदय में ही
समाना चाहता हूँ
जीवन का हर सपना अब
अधूरा सा लगता है।
हर अधूरे सपनों में मुझे तेरी
याद सताती है।

- शाखा पानीपत

एक और ओलंपिक हो रहा है

- चरनपाल सिंह सोबती

2012 के कैलेंडर साल का एक सबसे बड़ा आकर्षण है ओलंपिक खेल मेला। विश्व के सबसे बड़े खेल मेले के तौर पर हर चार साल बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है और इस बार ये आलंपिक आयोजित हो रहे हैं लंदन में 27 जुलाई से।

यूं तो खेल मेले के तौर पर ओलंपिक खेलों का आयोजन प्राचीन काल में भी होता था पर आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता के तौर पर पियरे डि कुबरतिन का नाम लिया जाता है। उनकी कोशिशों से ही 1896 में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरूआत हुई थी। वे फ्रांसीसी थे और विश्व शांति के प्रतीक के तौर पर उन्होंने खेल-भावना बढ़ाने के लिए अलग-अलग देशों को खेल के मैदान में इकट्ठा करने की कोशिश की।

हालांकि 34 देशों ने उनकी ओलंपिक खेलों की शुरूआत की कोशिश में सहयोग दिया पर वास्तव में जब 5 अप्रैल 1896 से ओलंपिक शुरू हुए तो इनमें 13 देशों ने हिस्सा लिया। इसकी शायद एक वजह यह भी थी कि ओलंपिक खेलों के लिए आख़िरी तारीख़ दिसंबर 1895 में तय हुई और तब एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए यातायात की आज जैसी सुविधाएं नहीं थीं और समय पर पहुँचना मुश्किल था।

उसके बाद से हर चार साल बाद इन ओलंपिक खेलों का आयोजन होने लगा और धीरे-धीरे इनमें हिस्सा लेने वाले देशों एवं खिलाड़ियों की गिनती बढ़ने लगी। अब तक सिर्फ़ तीन बार ऐसा हुआ है जबकि इन ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। 1916 में बर्लिन में ओलंपिक होने थे और तब विश्व युद्ध के कारण नहीं हुए। 1940 में टोक्यों में ओलंपिक होने थे, बाद में ये हेलसिंकी को दे दिए पर तब भी विश्व युद्ध के कारण नहीं हुए। उसके बाद 1944 में लंदन में होने थे ओलंपिक और वे भी दूसरे विश्व युद्ध की भेंट चढ़ गए।

ओलंपिक खेलों का आयोजन इसमें हिस्सा लेने वाले देशों और खिलाड़ियों की बढ़ती गिनती के कारण बहुत महंगा हो गया और यही वजह है कि इनकी मेजबानी जहाँ एक तरफ प्रतिष्ठा का सवाल है वहीं बहुत महंगा सौदा भी। 1968 में मेक्सिको में ओलंपिक हुए और ये ऐसे पहले ओलंपिक थे जिनमें हिस्सा लेने वाले देशों की गिनती 100 को पार गई - कुल 109 देश। 1972 में म्यूनिख में ओलंपिक हुए और ये पहले ऐसे ओलंपिक थे जिनमें खिलाड़ियों की गिनती 10 हजार को पार कर गई - कुल 10500 खिलाड़ी।

हाल के सालों में तो मेजबान शहर इन ओलंपिक खेलों के बहाने अपने देश की उन्नति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए यह बहुत महंगे हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि विश्व राजनीति ने इन खेलों पर असर नहीं डाला और ओलंपिक खेलों के बहिष्कार के कई उदाहरण हैं पर ये ओलंपिक, खेल भावना का प्रतीक बनकर आगे बढ़ रहे हैं।

लंदन में इससे पहले 1908 और 1948 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। इस बार ब्रिटिश सरकार ने ओलंपिक खेलों के लिए तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी थी और वे नहीं चाहते थे कि आरोप लगे कि महंगा सौदा होने के कारण समय पर तैयारी पूरी नहीं हुई। जिन अलग-अलग स्टेडियम में ओलंपिक प्रतियोगिताओं

का आयोजन होना है उनमें से कोई तो ओलंपिक से लगभग दो साल पहले पूरी तरह तैयार थे।

इस साल 18 अप्रैल को लंदन ओलंपिक आयोजन समिति ने '100 डेज' काउंटडाउन की शुरूआत की। उस दिन चेयरमैन लार्ड सेबस्टियन ने कहा था कि लंदन तो आज ही ओलंपिक के लिए तैयार है। सेबस्टियन खुद मशहूर एथलीट रहे हैं और ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। ओलंपिक से 70 दिन पहले ब्रिटेन में ओलंपिक मशाल का सफ़र शुरू हो गया था।

लंदन को इन ओलंपिक खेलों का आयोजन 6 जुलाई 2005 को मिला था और तब कड़ा मुकाबला था लंदन और पेरिस के बीच ओलंपिक की मेजबानी के लिए। हालांकि ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरा देश समर्थन देता है लेकिन परंपरा ऐसी है कि ओलंपिक खेलों की मेजबानी देश को नहीं शहर को मिलती है।

ओलंपिक के लिए ईस्ट लंदन के स्ट्रेटफोर्ड में बहुत बड़ा ओलंपिक पार्क बना। इस बहाने इस क्षेत्र का विकास किया गया। कहा जा रहा है कि यह पार्क बाद में लंदन वासियों के बहुत काम आएगा।

ओलंपिक के लिए मुख्य स्टेडियम में एथलेटिक के मुकाबले के अतिरिक्त उद्घाटन और समापन समारोह होंगे। इस स्टेडियम में 80 हजार लोगों के बैठने की क्षमता है और यह ब्रिटेन का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। सिर्फ़ बेम्बले और ट्विटनहेम इससे बड़े हैं।

तैराकी के मुकाबलों के लिए तितली की शक्ल का जो ओलंपिक पूल बना है उसे तो विश्व में अनोखा कहा जा रहा है। लगभग 324 मिलियन पाउंड की लागत से एक ओलंपिक गाँव बना है जिसमें एक साथ 18 हज़ार से ज़्यादा खिलाड़ी और अधिकारी रहेंगे और कहा जा रहा है कि 5 हजार से ज़्यादा एक समय में खाना भी खा सकते हैं।

भारत भी ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेता है और धीरे-धीरे भारत की ओलंपिक में हिस्सेदारी बढ़ी है जब भारत के ओलंपिक प्रतिनिधित्व की बात आती है तो सबसे ज़्यादा हॉकी में भारत की सफलता को याद किया जाता है। ढेरों खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक खेलों में मशहूरी दिलाई। ध्यानचंद को तो हॉकी का जादूगर कहते थे।

ओलंपिक हॉकी के स्वर्ण पदक पर भारत का नाम विजेता के तौर पर लिखा जाता था। 1928 ऐसे पहले ओलंपिक थे जब भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद 1932, 1936, 1948, 1952 और 1956 में भी स्वर्ण पदक भारत के नाम रहा और लगातार जीते। लगभग 28 साल तक सफ़लता का यह सिलसिला आख़िर में 1960 में टूटा जब पाकिस्तान से फाइनल में हारे थे। इस बीच लगातार 30 मैच जीते, 197 गोल किए और भारत पर सिर्फ 8 गोल हुए। भारत ने इस हार का हिसाब 1964 में फिर से स्वर्ण पदक जीत कर बराबर किया।

हाल के सालों में कलात्मक एशियाई हॉकी को तेज़-तर्रार यूरोपीय हॉकी से कड़ी चुनौती मिली है और जब 1972 में पश्चिम जर्मनी ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था 1920 के बाद यह पहला मौक़ा था जबकि किसी यूरोपीय देश ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। इस बार भी भारत ओलंपिक हॉकी में भाग ले रहा है।

इस बार की ओलंपिक हॉकी में एक बिल्कुल अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। 16 हजार दर्शकों की क्षमता वाला तो नया हॉकी स्टेडियम बना है उसमें एस्ट्रो टर्फ हरे रंग की नहीं है। नीले और गुलाबी रंग की पिच पर खेले जाएंगे मैच पीले रंग की गेंद से। एस्ट्रो टर्फ पर हॉकी के मुकाबले मॉंट्रियल से ही शुरू हो गए थे पर इस बार तो रंगीन टर्फ पर मैच होने से नज़ारा और भी अलग होगा।

मिल्खा सिंह और पीटी ऊषा अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद ओलंपिक पदक नहीं जीत पाए लेकिन निशानेबाज अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। इस बार भारत से खिलाड़ियों का एक बड़ा दल ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है और पूरे देशवासियों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं।

आंचलिक कार्यालय, दिल्ली- I, नई दिल्ली

हिंदी वर्णमाला का मानक स्वरूप

मानक हिंदी वर्णमाला

स्वर
अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ

मात्राएँ
ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ

अनुस्वार
ं (अं)

विसर्ग
ः (अः)

अनुनासिकता चिन्ह
ँ

व्यंजन
क ख ग घ ङ
च छ ज झ
ट ठ ड ढ ण ड़ ढ़
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व
श ष स ह

संयुक्त व्यंजन
क्ष त्र ज्ञ श्र

हलन्त चिन्ह
्

गृहीत ध्वनियाँ
ऑ (ॉ) ख़ ज़ फ़

मानक हिंदी वर्तनी संबंधी अद्यतन नियम इस प्रकार हैं :

1. **संयुक्त वर्ण**

(क) खड़ी पाई वाले व्यंजन

खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए जैसे कि :
ख़्याति, विघ्न, कच्चा, छज्जा, डिब्बा, व्यास, प्यास, उल्लेख आदि।

(ख) अन्य व्यंजन

(1) 'क' और 'फ' के संयुक्ताक्षर :
पक्का, दफ़्तर आदि की तरह लिखे जाएं।

(2) छ, ट, ठ, ड, द और ह के संयुक्ताक्षर (्) हलू चिन्ह लगा कर बनाए जाएं जैसे कि लट्टू, बुड्ढा आदि

(3) संयुक्त 'र' के प्रचलित तीनों रूप यथावत रहेंगे जैसे कि : प्रकार, धर्म, राष्ट्र।

(4) 'श्र' का प्रचलित रूप ही मान्य होगा। त् र के संयुक्त रूप के लिए 'त्र' लिखा जाएगा।

(5) विभक्तियां लिखना - विभक्तियां को संज्ञा शब्दों से अलग करके लिखा जाए और सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखा जाए जैसे कि राम ने, राम से, राम को आदि और उसने, इसको, उसको, इससे उसपर आदि।
सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा अलग करके लिखा जाए जैसे - उसके लिए, इसमें से आदि।
सर्वनाम और विभक्ति के बीच 'ही', 'तक' आदि का निपात हो तो विभक्ति को अलग लिखा जाए, जैसे-आप ही के लिए, मुझ तक को

(6) अव्यय लिखना - अव्यय को परवर्ती संज्ञा से मिलाकर लिखा जाएगा जैसे - प्रतिदिन, यथासमय, रामराज्य, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि।

(7) क्रियापद : संयुक्त क्रियाओं के मामले में सभी क्रियाएँ पृथक-पृथक लिखी जाएं, जैसे-पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, किया करता था, घूमता रहेगा आदि।

(8) हाइफ़न : द्वंद समास के पदों के बीच हाइफ़न रखा जाए, जैसे राम-लक्ष्मण, लेन-देन, देख-रेख, खेल-कूद, चाल-चलन आदि।

(9) सा, जैसा आदि से पूर्व हाइफ़न रखा जाए, जैसे - तुम-सा, राम-जैसे, दूध-सा सफ़ेद आदि।

(10) 'य' और 'व' - जहाँ 'य' और 'व' का प्रयोग विकल्प से होता है, वहाँ न किया जाए, अर्थात् किए-किये, नई-नयी, हुआ-हुवा, चाहिए-चाहिये, आदि में से पहले रूपों का ही प्रयोग किया जाए।

अंग्रेज़ी वर्ण के मानक देवनागरी लिपि चिन्ह :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम
N	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
एन	ओ	पी	क्यू	आर	एस	टी	यू	वी	डब्ल्यू	एक्स	वाई	जेड

अंकों की वर्तनी का मानक स्वरूप :

1	एक	26	छब्बीस	51	इक्यावन	76	छिहत्तर
2	दो	27	सत्ताईस	52	बावन	77	सतहत्तर
3	तीन	28	अट्ठाईस	53	तिरपन	78	अठहत्तर
4	चार	29	उनतीस	54	चौवन	79	उन्नयासी
5	पाँच	30	तीस	55	पचपन	80	अस्सी
6	छः	31	इकतीस	56	छप्पन	81	इक्यासी
7	सात	32	बत्तीस	57	सत्तावन	82	बयासी
8	आठ	33	तैंतीस	58	अट्ठावन	83	तिरासी
9	नौ	34	चौंतीस	59	उनसठ	84	चौरासी
10	दस	35	पैंतीस	60	साठ	85	पच्चासी
11	ग्यारह	36	छत्तीस	61	इकसठ	86	छियासी
12	बारह	37	सैंतीस	62	बासठ	87	सत्तासी
13	तेरह	38	अड़तीस	63	तिरसठ	88	अट्ठासी
14	चौदह	39	उनतालीस	64	चौंसठ	89	नवासी
15	पंद्रह	40	चालीस	65	पैंसठ	90	नब्बे
16	सोलह	41	इकतालीस	66	छियासठ	91	इक्यानवे
17	सत्रह	42	बयालीस	67	सड़सठ	92	बानवे
18	अठारह	43	तैंतालीस	68	अड़सठ	93	तिरानवे
19	उन्नीस	44	चवालीस	69	उनहत्तर	94	चौरानवे
20	बीस	45	पैंतालीस	70	सत्तर	95	पचानवे
21	इक्कीस	46	छियालीस	71	इकहत्तर	96	छियानवे
22	बाईस	47	सैंतालीस	72	बहत्तर	97	सतानवे
23	तेईस	48	अड़तालीस	73	तिहत्तर	98	अठानवे
24	चौबीस	49	उनचास	74	चौहत्तर	99	निन्यानवे
25	पच्चीस	50	पचास	75	पचहत्तर	100	सौ

पश्चिमी संस्कृति में रंगता भारत

- कुलविन्दर सिंह

'संस्कृति' शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। जैसे बूंद-बूंद से सागर बनता है, वैसे ही किसी समाज की संस्कृति उसके लोगों के रहन-सहन आचार-व्यवहार, खान-पान, वेष-भूषा और साहित्य भंडार के मिलने पर बनती है। किसी भी देश की संस्कृति पर उसके इतिहास और कई महान व्यक्तियों का प्रभाव होता है। भारतीय संस्कृति पर प्राचीन वेदों, रामायण, गीता आदि-ग्रंथ, बाईबल और कुरान जैसे महान ग्रंथों का विशेष प्रभाव है। इनकी रोशनी से ही भारतीय संस्कृति उज्ज्वल हुई है। रामायण हमें बड़े-बूढ़ों का आदर और आज्ञा पालन, गीता से हमें कर्म करने और फल की इच्छा न करने और आदि-ग्रंथ से हमें मानवता की सेवा, रक्षा और ईश्वर पर विश्वास रखने की प्रेरणा मिलती है। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गाँधी जैसे महान व्यक्तियों ने भी समय-समय पर भारतीय संस्कृति की रक्षा और प्रसार किया है। एक बार जब स्वामी विवेकानंद विदेश गए तो तन पर भगवा चादर व सिर पर पगड़ी के अलावा कोई अन्य सामान न देखकर वहाँ के लोगों ने पूछा, "आपका, बाकी का सामान कहाँ है?" स्वामी जी ने कहा, "बस यही मेरा सामान है।" इस पर लोगों ने व्यंग्य किया, अरे! यह कैसी संस्कृति है आपकी? तन पर सिर्फ भगवा चादर लपेट रखी है।' कोट-पतलून जैसा कोई पहनावा नहीं। स्वामी जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, "हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं। परंतु हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा इतिहास और हमारा परिश्रम करता है। भारत विभिन्न भाषाओं विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न त्यौहारों, वेष-भूषा और विभिन्न साहित्यों का विशाल देश है, परंतु फिर भी यहाँ के त्यौहार देशवासियों को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ का इतिहास और साहित्य हमें बड़ों का आदर करना, सच बोलना, परिश्रम करना, दूसरों की सहायता करना और आपसी प्रेम सिखाता है। हमारे देश के लोगों की वेष-भूषा से उनकी सादगी और सरलता झलकती है। यहाँ के त्यौहार लोक-गीत और लोक नायक इसकी संस्कृति को रंगीनी और चंचलता भी प्रदान करते हैं।

हमारे देश की संस्कृति अतिथि-सत्कार और मेहमान को भगवान का दर्जा देना सिखाती है। यहाँ की शादियों में देश की संस्कृति के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। इन अवसरों पर हमें यहाँ के लोगों का शिष्टाचार और दो अलग-अलग संस्कृतियों का मेल भी मिलता है। भारत में ज़्यादातर संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है। बच्चे अपने परिवार से ही छोटे-छोटे गुण सीखते हैं, जैसे बड़ों के पैर छूकर, माता-पिता जी का आदर और आज्ञा पालन करना, सुबह उठकर पूजा करना, सूर्य को प्रणाम करना और सच बोलना आदि।

यह तो था हमारी भारतीय संस्कृति का प्राचीन रूप। पर आधुनिक युग में भारतीय संस्कृति की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। इस पर पश्चिमी संस्कृति का बहुत प्रभाव है आधुनिक संस्कृति को पूर्व और पश्चिम का मिला-जुला रूप कहा जा सकता है। आधुनिक संस्कृति में पुरातनता के सभी तत्वों को चाहे वो अच्छे हों या बुरे, उन्हें नकारने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। आधुनिक भारतीय संस्कृति नकल वाली संस्कृति है। हम अपने महान पुरूषों को भूलकर आज फिल्मी अभिनेता-अभिनेत्रियों के परिधानों, हाव-भाव की और पश्चिम सभ्यता की नकल कर रहे हैं। हमारे खान-पान में असली घी, दाल, रोटी और चावल की जगह रिफाइंड ऑयल और पीज़ा, बर्गर ने ले ली है। ताऊ, पिताजी, काका जी, माँ जैसे शब्दों की जगह डैडी,

पापा, मम्मी, मॉम, अंकल आदि ने ले ली है। हमारी प्राचीन संस्कृति लगभग लुप्त हो रही है। लोगों में से धार्मिकता लुप्त होती जा रही है। बड़ों के पैर छूकर प्रणाम करने का रिवाज़ खत्म होता जा रहा है। प्रातः वंदना और संध्या प्रार्थना का स्थान टेलीविज़न, कंप्यूटर और इंटरनेट ने ले ली है। आज संस्कृत के श्लोक, वेद-मन्त्रों, गुरूबाणी, गायत्री मंत्र के स्थान पर फिल्मों के गीत गाए जाते हैं। शिखा रखना, जनेऊ बाँधना, पगड़ी बाँधना जैसे धार्मिक संस्कार लुप्त हो चुके हैं। त्यौहारों और शादियों पर आडंबर बढ़ गए हैं। उनकी धार्मिकता और अपनापन लुप्त हो रहे हैं। उनकी जगह महंगे उपहारों और दिखावे ने ले ली हैं। जिसने भ्रष्टाचार और दहेज प्रथा जैसी कई सामाजिक कुप्रथाओं को जन्म दिया है। भ्रष्टाचार चरम-सीमा पर है। भ्रष्टाचारियों के लिए धन ही ईमान और भगवान है। धन और पद की दौड़ में सभी प्रकार की नैतिकताओं का त्याग कर दिया गया है। धन-सम्पत्ति एवं अन्य प्रकार के वैभव प्राप्त करना ही मनुष्य का एक मात्र उद्देश्य रह गया है।

आधुनिक संस्कृति में जीवन-मूल्यों का कोई स्थान नहीं रह गया है। प्राचीन मान्यताओं व आस्थाओं को दकियानूसी विचारधारा का नाम दिया जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अविश्वास आदि भावनाएँ आम लोगों को तनाव और चिंता की दलदल में धकेलने के लिए उत्तरदायी हो रही है। समाज में गुरूजनों एवं बुज़ुर्गो के लिए सम्मान का भाव घटने लगा है। बहु-बेटियाँ अपने ही घर में अपमानित होने लगी हैं। आधुनिक बनने की दौड़ में स्त्रियों ने लज्जा, शालीनता का त्याग कर दिया है। पहनावे से स्त्री और पुरूष की भिन्नता करना कठिन हो गया है। विचारों में भिन्नता के कारण परिवारिक झगड़ों में संयुक्त परिवार समाप्त होने लगे हैं। परिवार में बड़े-बूढ़ों का महत्व नहीं रह गया है, वयोवृद्ध उपेक्षित होने लगे हैं।

आधुनिक संस्कृति इस मान्यता को पोषण करती हुई दिखाई दे रही है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक स्वार्थी बना जा सकता है। आधुनिक संस्कृति ने मानव की आवश्यकताओं को इतना बढ़ा दिया है कि बहुत सी विलासिता की वस्तुएँ भी धीरे-धीरे हमारी संस्कृति में शामिल हो गई हैं। मानव की इच्छाएं सुरसा के मुँह की तरह लगातार बढ़ती जा रही हैं। कामनाओं का कहीं भी अंत दिखाई नहीं दे रहा। इन असीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए निरंतर श्रम करना मनुष्य की मजबूरी बन गई है। और उसके पास अपने परिवार के साथ मिल-बैठ कर और उनके बारे में सोचने का समय ही नहीं है। हम प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर तो अवश्य हैं पर हमारे अच्छे संस्कार लुप्त हो रहे हैं।

आधुनिक संस्कृति हमारे लिए किसी अभिशाप से कम नहीं, समाज में प्रबुद्ध वर्ग ऐसा ही मानते हैं। ऐसे में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हमें राष्ट्रीय नैतिकता एवं चरित्र-निर्माण की बुनियादी बातों की ओर फिर से ध्यान देना होगा। चरित्र निर्माण और संस्कृति की रक्षा के लिए हमें छोटे-छोटे सामाजिक मूल्यों को बनाए रखना होगा। जिसकी शिक्षा का आधार हमारे बच्चों की शिक्षा प्रणाली में थोड़े से सुधारों से रखा जा सकता है। अध्यापक वर्ग इसमें विशेष भूमिका निभा सकते हैं। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान देना, अच्छी आदतों का प्रचलन करवाना, और अनुशासन में रहने का पाठ तो एक अध्यापक ही पढ़ा सकता है। स्कूलों में साहित्य और इतिहास की ऐसी पुस्तके पढ़ाई जानी चाहिए जिससे बच्चों को अपनी अमूल्य और गौरवशाली भारतीय संस्कृति का ज्ञान और उसकी महत्ता का पता चल सके।

माता-पिता को भी इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों और उनको स्वयं भी भारतीय संस्कृति से जुड़ना चाहिए। यह तो केवल तब ही संभव है जब हम हमारे रहन-सहन और आचार-व्यवहार में बदलाव उचित सीमा में हो। अगर बदलाव सीमा से परे हो तो मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाता है, एक सभ्य समाज की झलक वहाँ की संस्कृति से झलकती है। तो आवश्यकता है इस तरह की छोटी-छोटी चीजों में बदलाव करने की जिससे हम उन मूल्यों को बनाए रख सकें जो हमें हमारे पूर्वजों ने हमें दिए है। इस तरह ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और सभ्य संस्कृति प्रदान कर सकते हैं। आवश्यकता है सिर्फ प्राचीन भारतीय संस्कृति को बचाने की और अगली पीढ़ी तक ले जाने की। ज़रा कोशिश तो करके देखिए। हम अपने आप को बदल कर ही समाज को बदलता हुआ देख सकते हैं।

- आ.का. अमृतसर (शहरी)

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2012-13 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख"क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (तार, बेतार, टेलेक्स, फैक्स, ई-मेल आदि सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति-100%	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति-100%	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति - 85%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी टंकक/आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
5.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं अथवा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
6.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
7.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
8.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर, पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर खर्च की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों आदि की खरीद पर किया गया व्यय	50%	50%	50%
9.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलैक्ट्रानिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%	100%	100%
10.	वेबसाइट	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)
11.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)
12.	i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)

क्र. सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख"क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/ उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
13.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 02 बैठकें (न्यूनतम)	
	ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 02 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
	ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
14.	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद		100%	
15.	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/बैंक/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहाँ सारा कार्य हिंदी में हो	'क' क्षेत्र 40% सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहाँ अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं हैं, में 'क' क्षेत्र में कुल कार्य-क्षेत्र का 40 प्रतिशत 'ख' क्षेत्र में 25 प्रतिशत और 'ग' क्षेत्र में 15 प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जाए।	'ख' क्षेत्र 30% (न्यूनतम अनुभाग)	'ग' क्षेत्र 20%

पाठकों से निवेदन

बैंक के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन हेतु पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर पत्रिका का विगत दो दशकों से सफल प्रकाशन किया जा रहा है। इस प्रकाशन में राजभाषा हिंदी के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, बैंकिंग, कंप्यूटर एवं मानव-संसाधन से जुड़े लेखों के प्रकाशन के साथ-साथ हास्य-व्यंग्य, कविता, ग़ज़ल का प्रकाशन किया जाता है। स्टाफ़-सदस्यों के बच्चों को प्रेरित करने के लिए उनकी शैक्षिक उपलब्धियाँ, बाल-कविताएँ, स्कैच, पेंटिंग को भी यथोचित स्थान प्रदान किया जाता है। इसे बहुआयामी, प्रेरक और प्रोत्साहन माध्यम बनाने के लिए सभी का सहयोग एवं मार्गदर्शन अपेक्षित है। राजभाषा विभाग में आपके मूल लेख, कविता, सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं।

मुख्य संपादक
पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर
पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र.का. राजभाषा विभाग
21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

सेवा-निवृत्तियाँ

मुख्य प्रबंधक

श्री सुखदेव सिंह डडियाला
शाखा औद्योगिक वित्त, अमृतसर (शहरी)

श्री सतबीर सिंह मोखा
आंचलिक कार्यालय, बरेली

श्री अमरीक सिंह वालिया
शाखा तरन तारन, अमृतसर (ग्रामीण)

श्री अमरजीत सिंह सरा
आंचलिक कार्यालय, गुवाहाटी

श्री भूपिन्द्र कुमार महाजन
प्र.का. आई.टी. विभाग, नई दिल्ली

श्री गुरचरन सिंह
आंचलिक कार्यालय, गुरदासपुर

वरिष्ठ प्रबंधक

1.	श्री जोगिन्दर सिंह	आंचलिक निरीक्षणालय, चण्डीगढ़
2.	श्री बलबीर सिंह	आंचलिक कार्यालय, बठिण्डा
3.	श्री हरजिंदर सिंह फूल	आंचलिक कार्यालय- I I, नई दिल्ली
4.	श्री गुरमीत सिंह	शाखा अरबन इस्टेट फेज- I, बठिण्डा
5.	श्रीमती मधु खन्ना	शाखा सेक्टर 17 बी, चण्डीगढ़
6.	श्री आत्म सिंह गोपे	शाखा न्यू मार्किट जगाधरी
7.	श्री बलवंत सिंह	शाखा भाई रूपा
8.	श्री चंदर वदन मदान	शाखा चौरंगी, कोलकाता
9.	श्री अनिल कुमार	शाखा नेवाई
10.	श्री गुरिंदर सिंह सब्बरवाल	प्र.का. विधि एवं वसूली विभाग, नई दिल्ली
11.	श्री हरबंस सिंह बिंद्रा	प्र.का. परिसर विभाग, नई दिल्ली
12.	श्री हरनेक सिंह ग्रेवाल	शाखा न्यू जनता नगर, लुधियाना
13.	श्री मनजीत सिंह कपूर	शाखा मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली
14.	श्री जसबीर सिंह	शाखा ज्वालाहेड़ी पश्चिम विहार, नई दिल्ली
15.	श्री बख़्शीश सिंह	डीसी संगरूर
16.	श्री इंद्रजीत सिंह सोध	आंचलिक कार्यालय- I, चण्डीगढ़
17.	श्री प्यारा सिंह तुरना	आंचलिक कार्यालय, बरेली
18.	श्री धूप सिंह सिंघल	आंचलिक कार्यालय- I I, नई दिल्ली
19.	श्री राजिंदर पाल सिंह	आंचलिक निरीक्षणालय, नई दिल्ली
20.	श्री अमरजीत सिंह	शाखा मिलरगंज, लुधियाना
21.	श्री जसविंदरजीत सिंह	आंचलिक कार्यालय (शहरी), अमृतसर
22.	श्री हरजिंदर सिंह भाटिया	शाखा भिलाई
23.	श्री बलजिंद्र सिंह	प्र.का. निरीक्षण विभाग, नई दिल्ली
24.	श्री जगजीत सिंह खनूजा	शाखा रतलाम

पी.एस.बी. परिवार अपने
सेवानिवृत्त साथियों के
स्वस्थ व सुखमय जीवन
की कामना करता है।

भविष्य का शीशा

- प्रणति गम्भीर

एक गाँव में 1000 शीशों वाला घर था। एक खुशमिजाज़ व्यक्ति ने जब उस घर के बारे में सुना तो वह उसे देखने के लिए चल पड़ा। जैसे ही उसने मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया, उसे अपने जैसे 1000 दोस्तों की मुस्कुराहट दिखाई दी। वह व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित था। जब उसने खुशी के मारे अपना हाथ हिलाया तो उन्होंने भी हाथ हिलाया और प्रत्युत्तर दिया। उस व्यक्ति को यह दृश्य और घर बहुत पसंद आया। वह वहाँ दुबारा आने का निर्णय लिए लौट आया।

उसी गाँव में एक बदमिज़ाज व्यक्ति भी रहता था। उसे भी 1000 शीशों वाला घर देखने की इच्छा हुई। उस घर को देखने के लिए जैसे ही उसने गुस्से में प्रवेश किया तो उसे 1000 गुस्सैल व्यक्ति दिखाई दिए। उन्हें डराने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया तो सबने भी अपना हाथ उठाया। वह व्यक्ति बहुत डर गया और उसने मन ही मन यह निर्णय लिया कि वह अब वहाँ कभी नहीं आएगा।

इसलिए, "दुनिया भी एक शीशा हैं, हमें दुनिया वैसे ही दिखाई देगी जैसे हम हैं।"

- शाखा धूलकोट, अम्बाला

हमें इन पर गर्व है

शाखा सरिता विहार से सेवानिवृत्त श्री आर. डी. वर्मा, अधिकारी ने 'कासा जमा योजना' के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान रु. 3.50 करोड़ जुटाए। जिसके लिए उन्हें रु. 28,000 का नकद पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त आंचलिक कार्यालय- I I I की ओर से नकद रु. 27,000 का पुरस्कार दिया गया। माननीय अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ने इन्हें प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। सेवानिवृत्ति के बाद भी इन्होंने बैंक के कासा जमा में रु. 1.20 करोड़ जुटाए। पीएसबी परिवार श्री वर्मा के सुखद एवं मंगलमय जीवन की कामना करता है।

शाखा रानीपुर, ज़िला कपूरथला में कार्यरत श्री विनोद बख्शी ने एनआरआई खाते में रु. 4.83 करोड़, रु. 52 लाख व रु. 20 लाख का सावधि जमा कराया। इसके अतिरिक्त इन्होंने रु. 100 करोड़ के सहकारी जमा में भी योगदान किया। पी एण्ड एस बैंक परिवार को श्री बख्शी पर गर्व है।

सुश्री मिताली प्रधान सुपुत्री श्री वी. सी. प्रधान ने बोर्ड ऑफ सैकेन्ड्री एजूकेशन की 'ए.एच.सी.' परीक्षा 92.67 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की।
पी. एण्ड एस. बैंक परिवार की ओर से बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं।

नन्हे चित्रकार

गुरअसीस सिंह
सुपुत्र श्री कुलविन्दर सिंह, आ.का. अमृतसर (शहरी)

बेबी दिवजोत कौर
सुपुत्री श्रीमती सतविंदर कौर, आ.का. (शहरी), अमृतसर

बेबी दिवजोत कौर
सुपुत्री श्रीमती सतविंदर कौर, आ.का. (शहरी), अमृतसर

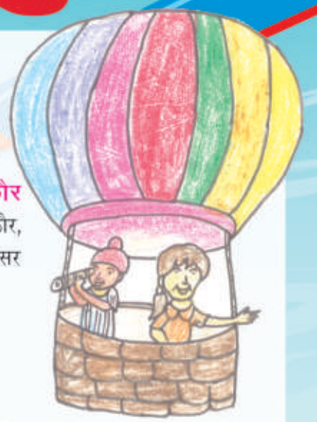

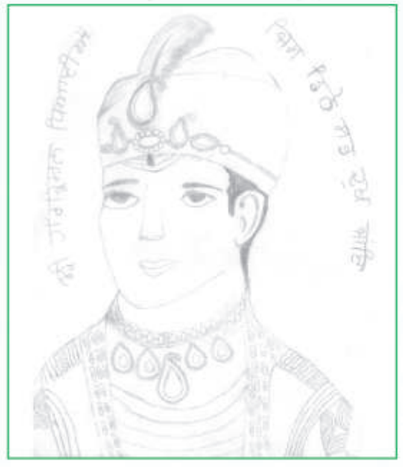

अमृतदीप सिंह
सुपुत्र श्री कुलविंदर सिंह, आ.का. अमृतसर (शहरी)

शिवानी
सुपुत्री श्री अशोक कुमार, आ.का. गुरदासपुर

मुस्कान
सुपुत्री श्री अशोक कुमार, आ.का. गुरदासपुर

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा हमारी ऋषिकेश शाखा का निरीक्षण

शहीदी पुरब-गुरू अर्जन देव जी

SHAHIDI PURAB - GURU ARJAN DEV JI

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank